इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 अप्रैल 2013—चैत्र 15, शक 1935

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक,
(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2013

क्र. ई-5-613-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, आयएएस., आयुक्त, महिला सशक्तिकरण, मध्यप्रदेश तथा पदेन प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम, भोपाल को दिनांक 12 से 20 मार्च 2013 तक नौ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न आयुक्त, महिला सशक्तिकरण, मध्यप्रदेश तथा पदेन प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाशकाल में श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल, दिनांक 14 मार्च 2013

क्र. ई-5-823-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती शशि कर्णावत, आयएएस., उपसचिव, म. प्र. शासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग को दिनांक 18 से 28 फरवरी 2013 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

2. अवकाशकाल में श्रीमती शशि कर्णावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शशि कर्णावत अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2013

क्र. ई-5-883-आयएएस-लीव-पांच-एक.—(1) श्री अनय द्विवेदी, आयएएस., अनुविभागीय अधिकारी, बिजावर जिला-छतरपुर को दिनांक 15 से 23 मार्च 2013 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24 मार्च 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अनय द्विवेदी को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, बिजावर जिला-छतरपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाशकाल में श्री अनय द्विवेदी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अन्य द्विवेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-816-आयएएस-लीव-पांच-एक.—(1) श्री संजीव सिंह, आयएएस., कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर को दिनांक 28 जून से 5 जुलाई 2012 तक आठ दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाशकाल में श्री संजीव सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-890-आयएएस-लीव-पांच-एक.—(1) श्री अनुराग चौधरी, आयएएस., अनुविभागीय अधिकारी, डबरा, जिला ग्वालियर को दिनांक 25 से 30 मार्च 2013 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 24 मार्च 2013 एवं 31 मार्च 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. श्री अनुराग चौधरी की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री बृजेश सक्सेना, राप्रसे डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी, भितरवार जिला ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

3. अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग चौधरी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, डबरा जिला ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता हैं.

4. श्री अनुराग चौधरी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, डबरा जिला ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बृजेश सक्सेना उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

5. अवकाशकाल में श्री अनुराग चौधरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

6. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-892-आयएएस-लीव-पांच-एक.—(1) श्री आशीष सिंह, आयएएस., अनुविभागीय अधिकारी, बैहर, जिला बालाघाट को दिनांक 18 से 28 मार्च 2013 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16, 17 मार्च 2013 एवं 29 मार्च 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती हैं.

2. अवकाश से लौटने पर श्री आशीष सिंह को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, बैहर, जिला बालाघाट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता हैं.

3. अवकाश काल में श्री आशीष सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशीष सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2013

क्र. ई-5-855-आयएएस-लीव-पांच-एक.—श्री अशोक देशवाल, आयएएस., तत्का. अपर आबकारी आयुक्त, म. प्र. ग्वालियर को समसंख्यक आदेश दिनांक 4 फरवरी 2013 द्वारा दिनांक 5 से 11 जनवरी 2013 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, उपभोग न किये जाने के कारण एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव."कार्मिक".

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2013

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 43), राज्य शासन, कु. शुभांगी पालो पिता श्री सुशील कुमार पालो को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला नबरंगपुर (ओडिशा) है. उसकी जन्मतिथि 12 नवम्बर 1988 है.

फा. क्र. 17(ई)73-2013-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन द्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री अखिलेश पंड्या, रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल की सेवाएं वापस लेकर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपी जाती है तथा उनके स्थान पर श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव, तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी, को मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल में रजिस्ट्रार के पद पर, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप में, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.

फा. क्रमांक 3(ए)15-2005-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी, श्री योगेश कुमार गुप्ता, अतिरिक्त सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल की सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस कर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय को सौंपता है.

फा. क्रमांक 3(ए)15-2005-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी, श्री राजेश कुमार गुप्ता, चतुर्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अतिरिक्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.

फा. क्रमांक 17(ई)67-2008-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक सेवा के अधिकारियों की सेवाएं श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से, आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाने हेतु श्रम विभाग को सौंपता है:—

क्र.	नाम तथा पद	नवीन पदस्थापना
1.	श्रीमती नीलम शुक्ला, 12वें सिविल न्यायाधीश वर्ग-2, इंदौर.	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, इंदौर (श्री रविकांत स्वर्णकार के स्थान पर).
2.	श्री सुशील कुमार जोशी, 18वें सिविल न्यायाधीश वर्ग-2, इंदौर.	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, मंदसौर (श्री विजय सिंह कावछा के स्थान पर).

फा. क्रमांक 4-1-2002-इक्कीस-ब(एक).—उच्च न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्य श्री गिरीश कुमार शर्मा को मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अनुसार द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इंदौर के पद पर नियुक्त किया गया था, के द्वारा त्यागपत्र दिये जाने के कारण राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा दिनांक 15 मार्च 2013 को मान्य करते हुए उनका त्यागपत्र दिनांक 31 मार्च 2013 के अपरान्ह से स्वीकृत करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2013

फा. क्रमांक 1013-इक्कीस-ब(दो)13.—राज्य शासन श्री लक्ष्मण भैया चौहान, नोटरी तहसील कराहल, जिला श्योपुर (म. प्र.) के विरुद्ध श्री गोपाल मूर्ती दुबे, अधिवक्ता द्वारा नोटरी नियम के अंतर्गत की गई शिकायत की जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर (म. प्र.) के जांच प्रतिवेदन के आधार पर, नोटरी नियम, 1956 के नियम 13 (12) (ख) (iii) के अंतर्गत सिद्ध हुए अवचार की प्रकृति ओर गंभीरता के अनुसार एतद्द्वारा चेतावनी देता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 मार्च 2013

क्र. एफ 1(ए)88-2008-ब-2-दो.—श्री चन्द्रशेखर सोलंकी, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, दतिया को पुलिस मुख्यालय के आदेश क्र. 782/13, दिनांक 18 मार्च 2013 द्वारा दिनांक 30 मार्च से 12 अप्रैल 2013 तक, चौदह दिवस स्वीकृत अर्जित अवकाश अवधि में राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ गृहनगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की पात्रता के तहत् "अण्डमान-निकोबार" की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:—

1.	श्री चन्द्रशेखर सोलंकी	स्वयं
2.	डॉ. दीप शिखा माथुर	पत्नी
3.	मास्टर आरव	पुत्र

2. उक्त यात्रा हेतु श्री चन्द्रशेखर सोलंकी, भापुसे, को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इंद्रनील शंकर दाणी, अपर मुख्य सचिव.

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2013

क्र. एफ-11-2-2011-सात-शा-6.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र क्रमांक 11-3-2012-एम एण्ड जी दिनांक 26 फरवरी 2013 द्वारा संसूचित अनापत्ति के अनुसरण में राज्य शासन एतद्द्वारा भोपाल जिले के ग्राम **''बैरागढ़''** का नाम परिवर्तित कर **''संत हिरदाराम नगर''** करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2013

क्र. एफ-11-2-2011-सात-शा-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 11-2-2011-सात-शा-6, दिनांक 3 अप्रैल 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 3rd April 2013

No. F.-11-2-2011-VII-6.—In pursuance of no objection conveyed by Govt. of India, Ministry of Home Affairs *vide* their letter No. 11-3-2012-M&G dated 26th February 2013 the State Government hereby change the name of village of "BAIRAGADH" district Bhopal as "SANT HIRDARAM NAGAR" with immediate effect.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
सूचना

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2013

क्र. एफ-3-82-2011-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक एक सन् 2012) की धारा 23''क'' की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक-एफ-3-82-2011-बत्तीस, दिनांक 8 नवम्बर 2012 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित कटनी विकास योजना, 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हे. में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ग्राम झिझरी.	692,	0.0084	सार्व. एवं अर्ध सार्व.	आवासीय
		692,	3.2816	कृषि	आवासीय
		699,	2.90	कृषि	आवासीय
		700	0.008	उद्योग	आवासीय
		700	0.512	कृषि	आवासीय
		703 एवं 704	2.00	कृषि	आवासीय
		705/1	3.84	अल्प आवासीय धनत्व	आवासीय
		705/1	39.86	कृषि	आवासीय
		722/1-क एवं ख	2.94	अल्प आवासीय धनत्व	आवासीय
		722/1 क एवं ख	27.6936	कृषि	आवासीय
		723	2.53	कृषि	आवासीय
		योग . .	85.5636		

2. उक्त उपांतरण कटनी विकास योजना, 2021 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मण्डी, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश

विदिशा, दिनांक 12 मार्च 2013

क्र.-क्यू-ए.पी.डी.2013-4484.—एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11 (5) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, मैं, आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी), जिला विदिशा, ''कृषि उपज मण्डी समिति विदिशा'' में निम्नांकित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में निर्दिष्ट करता हूं:—

क्र.	नाम निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम एवं पता	संस्था/व्यक्ति का नाम जिसकी ओर से प्रतिनिधि नाम निर्दिष्ट किया गया है	मण्डी अधिनियम की धारा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री भगवान दास अहिरवार नि. लुहांगी रोड विदिशा.	मा. श्री हरि सिंह रघुवंशी, विधायक विधान सभा क्षेत्र गंजबासौदा.	1972 की धारा 11 (5)
2	श्री रघुवीर सिंह रघुवंशी अध्यक्ष, मार्केटिंग सोसायटी, विदिशा.	विपणन सहकारी समिति मर्यादित, विदिशा	1972 की धारा 11 (5)

आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी).

कार्यालय, श्रम पदाधिकारी, श्रम उपसंभाग अनूपपुर, जिला—अनूपपुर, मध्यप्रदेश

अनूपपुर, दिनांक 18 मार्च 2013

क्र.-नवम-श्र.उ.सं.अ.-2012-199.—मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 की धारा 13 की उपधारा (3-क) द्वारा प्रदत्य शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा राज्य शासन अधिसूचना क्रमांक एफ. 14-(ई)6-98-ए-16, दिनांक 11 जनवरी 2008 राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 25 नवम्बर 2008 के अंतर्गत प्राधिकृत मैं श्रीमती संध्या सिंह, श्रम पदाधिकारी अनूपपुर अपने कार्य क्षेत्र में धारा 13 की उपधारा (3-क) के अन्तर्गत निम्नानुसार स्तम्भ (1) में उल्लेखित स्थानीय क्षेत्र के लिये स्तम्भ (2) में उल्लेखित साप्ताहिक अवकाश घोषित करती हूं. जो कि अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील होगी:—

क्र.	स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
(1)	(2)	(3)
	स्थानीय क्षेत्र/नगर का नाम	साप्ताहिक अवकाश दिन धारा 13(1)
1	बिजुरी	शनिवार

नगरपालिका परिषद् के अन्तर्गत आने वाले समस्त क्षेत्र एवं नगरपालिका परिषद के चारों ओर 3 किलोमीटर तक की परिधि में यह बंद दिन प्रभावशील होगा.

संध्या सिंह, श्रम पदाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी), स्थानीय निर्वाचन, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 25 मार्च 2013

क्र.-स्था. निर्वा.-स्टोर-मण्डी-12-26-26-603.—एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 11 के खण्ड च, ज एवं झ के अन्तर्गत कृषि विभाग, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, तथा जिला भूमि विकास बैंक

के निम्न दर्शित सदस्यों को कालम (2) में उल्लेखित कृषि उपज मण्डी समिति के लिये नाम निर्दिष्ट करता हूं:—

क्र.	मण्डी समिति का नाम	कृषि विभाग	जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक	जिला भूमि विकास बैंक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	कृषि उपज मंडी समिति, उज्जैन	श्री बी.एस. अर्गल, अनुविभागीय कृषि अधि. उज्जैन.	श्री शंकरलालजी आंजना, उपाध्यक्ष	श्री किशन सिंहजी भटोल, अध्यक्ष
2	कृषि उपज मंडी समिति, बड़नगर	श्री आर. एस. गुजराती, सहा. भूमि संर. अधि. बड़नगर.	श्री रमेश चन्द्रजी पण्ड्या, संचालक	श्री सुकूमालजी जैन, संचालक
3	कृषि उपज मंडी समिति, महिदपुर	श्री अश्विनी झारिया, सहा. भूमि संर. अधि. (नघाया) महिदपुर.	श्री किशोर लालजी मेहता, संचालक	श्री किशन सिंहजी भटोल, अध्यक्ष
4	कृषि उपज मंडी समिति,तराना	श्री के. एन. वर्मा, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, तराना.	श्री राजपाल सिंह सिसोदिया, संचालक	श्री करण सिंह जी कुम्हार्डी, संचालक
5	कृषि उपज मंडी समिति, खाचरोद	श्री सी. एस. सिसोदिया, अनु. कृषि अधिकारी, खाचरोद.	श्री लालसिंहजी राणावत, अध्यक्ष	श्री रूगनाथ सिंहजी पंवार, संचालक
6	कृषि उपज मंडी समिति, नागदा	श्री आर.एस. चौहान, वरिष्ठ कृषि विकास अधि. खाचरोद.	श्री लालसिंहजी राणावत, अध्यक्ष	श्री बालूसिंहजी आंजना, संचालक
7	कृषि उपज मंडी समिति, उन्हेल	श्री शशिरंजन भट्ट वरिष्ठ कृषि विकास अधि. खाचरोद.	श्री दिनेश जी परिहार, संचालक	श्री किशन सिंहजी भटोल, अध्यक्ष

बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी).

संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 मार्च 2013

क्र.-गन्ना-एस-3-क्षे.रा.-श्रीजी-12-13-122.—मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी.एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2012-13 हेतु श्रीजी शुगर एण्ड पावर प्रा. लि. सोहागपुर जिला बैतूल, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं:—

क्र.	जिला/तहसील	क्रय केन्द्र	ग्रामों की संख्या	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	बैतूल/बैतूल	फैक्ट्री गेट	53	3825.234
2	बैतूल/घोड़ाडोंगरी	फैक्ट्री गेट	11	227.111
3	बैतूल/चिचोली	फैक्ट्री गेट	9	174.482
4	बैतूल/आमला	फैक्ट्री गेट	52	2407.407
		योग . .	125	6634.234

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे.

डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.

श्रीजी शुगर एण्ड पावर प्रा. लि. सोहागपुर गन्ना क्षेत्र आरजन

तहसीलवार एवं ग्रामवार गन्ना क्षेत्रफल विवरण सीजन 2012-13 (हैक्टेअर में)

क्र.	गांव का नाम	पौधा	प्रथम रैटून	द्वितीय रैटून	कुल योग	कृषकों की संख्या	तहसील का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	बैतूल बाजार	272.975	202.024	241.700	716.699	309	बैतूल
2	बयावाड़ी	9.311	20.951	3.641	33.903	28	बैतूल
3	भरकावाड़ी	13.056	15.991	14.170	43.217	27	बैतूल
4	लोहारिया	10.121	3.643	9.109	22.873	13	बैतूल
5	बघोली	15.587	7.287	2.024	24.898	30	बैतूल
6	गौंडीगौला	12.550	12.145		24.695	27	बैतूल
7	सोहागपुर	41.902	42.307	48.582	132.791	94	बैतूल
8	मिलानपुर	19.433	24.898	26.720	71.051	26	बैतूल
9	जावरा	13.765	23.481	3.643	40.889	35	बैतूल
10	आरूल	13.461	19.433	12.449	45.343	29	बैतूल
11	बाजपुर	20.647	21.862	31.578	74.087	36	बैतूल
12	रतनपुर	9.311	8.704	10.121	28.136	22	बैतूल
13	बुंडाला	8.906	5.668	18.623	33.197	22	बैतूल
14	कन्नडगांव	11.133	2.429	13.360	26.922	23	बैतूल
15	लाखापुर	16.194	7.894	17.004	41.092	37	बैतूल
16	काजीजामठी	23.076	19.433	18.016	60.525	47	बैतूल
17	भीलावाड़ी	8.502	10.323	8.299	27.124	27	बैतूल
18	मोवाड़	12.550	5.668	15.708	33.926	26	बैतूल
19	मलकापुर	81.072	42.813	131.578	255.463	102	बैतूल
20	भैंसदेही	28.137	13.360	37.246	78.743	33	बैतूल
21	खेड़ी	29.352	19.433	67.914	116.699	31	बैतूल
22	केलापुर	6.882	11.336	6.477	24.695	21	बैतूल
23	खंडारा	43.421	21.457	68.117	132.995	48	बैतूल
24	राठीपुर	8.299	2.631	14.170	25.1	21	बैतूल
25	बरसाली	16.902	10.627	14.777	42.306	28	बैतूल
26	उमरीजागीर	11.538	14.979	22.064	48.581	30	बैतूल
27	बैतूल	27.935	11.538	40.080	79.553	27	बैतूल
28	टिकारी	51.012	28.947	32.995	112.954	42	बैतूल
29	हमलापुर	15.991	0.809	26.113	42.913	23	बैतूल

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
30	बोड़ना	12.753	12.145	2.429	27.327	34	बैतूल
31	बडोरा	60.222	46.761	30.364	137.347	79	बैतूल
32	दनोरा	46.255	30.668	40.890	117.813	58	बैतूल
33	रोंडा	9.919	10.728	10.323	30.97	21	बैतूल
34	भडूस	41.497	25.708	34.008	101.213	54	बैतूल
35	महदगांव	33.400	20.445	30.364	84.209	97	बैतूल
36	कोसमी	44.534	47.975	16.194	108.703	54	बैतूल
37	टेमनी	17.206	23.684	3.643	44.533	25	बैतूल
38	भोगीतेड़ा	37.651	46.558	15.182	99.391	64	बैतूल
39	सेहरा	17.813	17.004	8.502	43.319	22	बैतूल
40	डोंडवाड़ा	9.311	7.489	4.453	21.253	18	बैतूल
41	भयावाड़ी	20.242	22.064	6.477	48.783	22	बैतूल
42	खेड़ी (सोंवलीगढ)	5.668	15.182	5.060	25.91	17	बैतूल
43	खापरखेड़ा	23.684	31.983	2.429	58.096	35	बैतूल
44	माथनी	15.182	14.777	1.619	31.578	26	बैतूल
45	मंडई बुजूर्ग	22.874	28.137	5.668	56.679	31	बैतूल
46	छोटी मंडई	15.384	10.526	4.038	29.948	32	बैतूल
47	कोदाराटी	33.400	37.044		70.444	37	बैतूल
48	डोकियापाढर	14.979	11.740		26.719	17	बैतूल
49	लापाझिरी	14.574	22.267		36.841	24	बैतूल
50	सिल्लौट	17.004	16.194	6.882	40.080	21	बैतूल
51	हिवरखेड़ी	37.854	42.914	28.137	108.905	85	बैतूल
52	रातामाटी	8.097	11.538	3.238	22.873	35	बैतूल
53	चांदबेड़ा	5.263	4.048	1.619	10.930	8	बैतूल
	योग . .	1417.787	1189.650	1217.797	3825.234	2180	

क्र.	गांव का नाम	पौधा	प्रथम रैटून	द्वितीय रैटून	कुल योग	कृषकों की संख्या	तहसील का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	जुवाड़ी	6.882	13.36	21.457	41.699	9	घोड़ाडोंगरी
2	मेहकार	5.668	5.668		11.336	10	घोड़ाडोंगरी
3	आमढाना	2.024	9.311		11.335	14	घोड़ाडोंगरी
4	कोयलारी	1.214	2.024	2.834	6.072	1	घोड़ाडोंगरी
5	छुरी	14.17	18.623	13.765	46.558	16	घोड़ाडोंगरी
6	भयावाड़ी	4.048	9.311	0.809	14.168	14	घोड़ाडोंगरी
7	हीरावाड़ी	7.287	17.813	0.809	25.909	24	घोड़ाडोंगरी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	कुही	2.631	4.453	1.619	8.703	5	घोड़ाडोंगरी
9	नीमपानी	3.238	8.906	2.429	14.573	11	घोड़ाडोंगरी
10	डोलीढाना	12.145	18.623	3.643	34.411	17	घोड़ाडोंगरी
11	छुरी	4.453	6.68	1.214	12.347	8	घोड़ाडोंगरी
	योग . .	63.76	114.772	48.579	227.111	129	

क्र.	गांव का नाम	पौधा	प्रथम रैटून	द्वितीय रैटून	कुल योग	कृषकों की संख्या	तहसील का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	चिचोली	10.728	13.967	4.655	29.35	19	चिचोली
2	जोड़ीढाना	5.263	4.655	0.404	10.322	13	चिचोली
3	जोगली	10.323	9.919	2.429	22.671	20	चिलोली
4	मिरजापुर	8.299	7.085	0.809	16.193	9	चिचोली
5	नसीराबाद	7.287	8.097		15.384	15	चिचोली
6	बोरी	2.024	11.336		13.36	17	चिचोली
7	गोंडूमंडई	11.74	19.433	1.619	32.792	22	चिचोली
8	निवाड़ी	6.477	12.55	6.072	25.099	18	चिचोली
9	मलांजपुर	5.263	4.048		9.311	7	चिचोली
	योग . .	67.404	91.09	15.988	174.482	140	

क्र.	गांव का नाम	पौधा	प्रथम रैटून	द्वितीय रैटून	कुल योग	कृषकों की संख्या	तहसील का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	नांदपुर	10.121	7.287	2.834	20.242	18	आमला
2	बोड़खी	17.611	2.429	15.789	35.829	31	आमला
3	आमला	23.481	26.315	5.668	55.464	15	आमला
4	तोरनवाड़ा	23.886	25.910	8.502	58.298	15	आमला
5	परसोड़ी	28.947	55.870	4.048	88.865	101	आमला
6	खिरकीखुर्द	9.008	8.805	2.631	20.444	16	आमला
7	खापाखतेड़ा	44.939	72.469		117.408	76	आमला
8	बोरीखुर्द	22.267	20.242	6.477	48.986	30	आमला
9	छावल	35.222	45.344	3.238	83.804	48	आमला
10	डुटमुर	42.510	63.562	11.740	117.812	50	आमला
11	रतेड़ाकला	23.076	46.963	2.834	72.873	68	आमला
12	रतेडाखुर्द	44.534	62.348	6.072	112.954	84	आमला
13	माहोली	20.445	23.684	4.858	48.987	20	आमला
14	डोडावानी	24.089	35.627	1.619	61.335	53	आमला
15	जमदेहीकला	10.931	12.955	2.024	25.910	19	आमला
16	जमदेहीखुर्द	21.862	21.457	10.121	53.440	40	आमला

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
17	नरेरा	31.376	25.708	1.619	58.703	41	आमला
18	कुटखेड़ी	14.979	10.121	2.834	27.934	25	आमला
19	छिपन्या	27.935	17.813	10.526	56.274	19	आमला
20	बिजोरी	20.242	17.004	3.643	40.889	21	आमला
21	बामला	10.526	10.121	1.619	22.266	13	आमला
22	कलमेश्वरा	22.267	8.906	2.024	33.197	25	आमला
23	बोरदही	7.287	4.048	4.048	15.383	8	आमला
24	इटावा	6.275	5.263	4.858	16.396	13	आमला
25	तरोड़ाकला	21.457	13.562	1.821	36.84	14	आमला
26	डांगरिया	7.489	8.906		16.395	65	आमला
27	ख्यालपुर	40.080	41.700	3.643	85.423	47	आमला
28	बड़गांव	29.757	27.935	2.834	60.526	3	आमला
29	राजेगांव	23.076	17.004	6.477	46.557	11	आमला
30	कोडरखापा	39.676	27.935	13.360	80.971	25	आमला
31	बोरगांव	11.740	14.170	2.834	28.744	24	आमला
32	जम्बाड़ा	29.554	29.554	6.477	65.585	22	आमला
33	तिरमहु	11.740	13.360	1.214	26.314	65	आमला
34	देहगांव	29.149	31.570	9.716	70.435	38	आमला
35	कनोजिया	16.194	18.825	0.809	35.828	32	आमला
36	देओटान	18.218	11.336	16.599	46.153	27	आमला
37	लालावाड़ी	15.789	46.153	20.644	82.586	63	आमला
38	हथनोरा	27.935	24.291	0.404	52.630	26	आमला
39	भयावाड़ी	19.635	13.967	2.429	36.031	19	आमला
40	छातावाड़ी खुर्द	11.336	8.906	4.048	24.290	8	आमला
41	छातावाड़ी कला	17.712	11.639		29.351	23	आमला
42	खेडलीबाजार	7.287	3.643	2.024	12.954	7	आमला
43	हरन्या टांडी	9.311	8.502	1.619	19.432	11	आमला
44	बारन्या	12.955	10.526	4.453	27.934	20	आमला
45	दहलवाड़ा	10.526	8.906		19.432	12	आमला
46	सिमरिया	17.813	12.550	2.834	33.197	23	आमला
47	कचरवोट	22.267	8.502	4.453	35.222	23	आमला
48	अवारिया	8.299	11.133	3.643	23.075	26	आमला
49	बूचनवाड़ी	7.692	14.574	2.429	24.695	18	आमला
50	चोपना	19.028	5.668		24.696	21	आमला
51	खर्परा खेड़ी	19.433	18.623	4.048	42.104	22	आमला
52	केदार खेड़ा	8.097	14.574	3.643	26.314	17	आमला
	योग . .	1057.061	1108.265	242.081	2407.407	1561	

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 12 मार्च 2013

क्र. 652-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवॉ	बुड़वा पैपखार	0.032	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा (म. प्र.)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योंटी नहर की आलमगंज वितरक नहर में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 13 मार्च 2013

क्र. 659-प्रशा-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	बिड़वा	0.092	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्र.-2 सतना.	बाणसागर परियोजना की पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 661-प्रशा-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी

व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	करहिया	0.027	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्र.-2 सतना.	बाणसागर परियोजना की पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 663-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमारिया	भवरा	2.75	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर की बेलरी सब माइनर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 665-प्रशा.-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	बेला कोठार	0.400	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्र.-2 सतना.	बाणसागर परियोजना की पुरवा नहर की महिदल वितरक नहर की घटबेलवा माइनर नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि-अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 667-प्रशा.-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बघेलान.	चोरमारी कोठार.	0.050	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्र.-2 सतना.	बाणसागर परियोजना की पुरवा नहर की महिदल वितरक नहर की चोरमारी माइनर नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि-अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 669-प्रशा.-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	सोनवर्षा कोठार.	1.360	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्र.-2 सतना.	बाणसागर परियोजना की पुरवा नहर की महिदल वितरक नहर की घटबेलवा माइनर नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि-अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 671-प्रशा.-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने

के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	किटहा कोठार.	0.512	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्र.-2 सतना.	बाणसागर परियोजना की पुरवा नहर की महिदल वितरक नहर की किटहा माइनर नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि-अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 673-प्रशा.-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	खम्हरिया तिवरियान	0.150 (छूटा हुआ रकवा)	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्र.-2 सतना.	बाणसागर परियोजना की पुरवा मुख्य नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि-अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 675-प्रशा.-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके धारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	मझियार कोठार.	0.800	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्र.-2 सतना.	बाणसागर परियोजना की पुरवा नहर की महिदल वितरक नहर की कंदवा, महिदल न. 1 एवं न.-2 माइनर नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि-अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 677-प्रशा.-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके धारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	देवमऊ दलदल	4.041	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्र.-2 सतना.	बाणसागर परियोजना की पुरवा नहर की महिदल वितरक नहर की देवमऊ दलदल माइनर नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 679-प्रशा.-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके धारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बघेलान	सगौनी कोठार	0.448	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्र.-2 सतना.	बाणसागर परियोजना की पुरवा नहर की महिदल वितरक नहर की सगौनी माइनर नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि-अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 681-प्रशा.-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके धारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	गाजन कोठार	0.662	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्र.-2 सतना.	बाणसागर परियोजना की पुरवा नहर की महिदल वितरक नहर की गाजन माइनर नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि-अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 683-प्रशा.-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके धारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बघेलान	डेंगरहट कोठार	1.288	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्र.-2 सतना.	बाणसागर परियोजना की पुरवा नहर की महिदल वितरक नहर की डेंगरहट माइनर नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि-अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 685-प्रशा.-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके धारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	महिदलखुर्द	0.120	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्र.-2 सतना.	बाणसागर परियोजना की पुरवा नहर की महिदल वितरक नहर की महिदल न.-1 माइनर नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि-अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 687-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	कोटर	सेमरी 55/45	3.20	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर की सेमरी 55/45 सब माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 689-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	भमरा कोठार	17.96	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर भवरा सब माइनर न. 1, 2 एवं 3 के निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 691-प्रशा.-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	महिदलकला	4.796	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्र.-2 सतना.	बाणसागर परियोजना की पुरवा नहर की महिदल वितरक नहर की महिदल माइनर न.-1 एवं न.-2 माइनर नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 14 मार्च 2013

क्र. 699-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बघेलान	घुंघचिहाई	1.52	कार्यपालन यंत्री, वितरिका नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना अंतर्गत पथण्डा वितरक की गोरैया माइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 15 मार्च 2013

क्र. 721-प्रशा.-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बघेलान	करमऊ	0.138 (छूटा हुआ रकवा)	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्र.-2 सतना.	बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि-अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 20 मार्च 2013

क्र. 750-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	मरहा	1.303	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	नौवस्ता वितरक नहर की कठार माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 20 मार्च 2013

क्र. 1-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उनके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारों का उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के उपबन्ध उसी संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम प. ह. न./न. ब.	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	जबलपुर	(1) माढ़ोताल प. ह. नं. 1 (नया.) 25/31 (पुराना) बन्दो नं. 660.	23.336	मुख्य कार्यपालिक अधिकारी जबलपुर विकास प्राधिकरण जबलपुर.	योजना क्र. 62 (आवासीय योजना) से प्रभावित भूमि के अर्जन हेतु.
		(2) गोहलपुर प. ह. नं. 1 (नया) 25/31 (पुराना) बंदो. नं. 601	3.376		
		योग . .	26.712		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

हरदा, दिनांक 22 मार्च 2013

क्र. 2828-भू-अर्जन-7-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हरदा	खिरकिया	कालधड	1.172	भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया	चारूवा माईनर की 7 एल 9 एल सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2804-भू-अर्जन-8-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हरदा	सिराली	ढोलगांवकलां	1.273	भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया	काकडकच्छ माईनर की 8 आर सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2830-भू-अर्जन-9-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हरदा	खिरकिया	पोखरनी	2.892	भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया	चारूवा माईनर की 12 एल सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2820-भू-अर्जन-10-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हरदा	खिरकिया	हथनोरी	0.704	भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया	चारूवा माईनर की 7 एल सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2832-भू-अर्जन-11-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हरदा	खिरकिया	बसंतपुरा	0.291	भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया	चारूवा माईनर की 12 एल सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2822-भू-अर्जन-12-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हरदा	खिरकिया	हरिपुरामाल	1.441	भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया	चारूवा माईनर की 5 एल एवं 7 एल सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2836-भू-अर्जन-13-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हरदा	खिरकिया	प्रतापपुरासेठ	1.369	भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया	चारूवा माईनर की 3 एल सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2834-भू-अर्जन-14-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हरदा	खिरकिया	बसंतपुरा	1.130	भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया	चारूवा माईनर की 6 आर. सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2814-भू-अर्जन-15-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हरदा	खिरकिया	लोनी	2.411	भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया	वाफला माईनर की 16 आर. एवं 17 एल. सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2812-भू-अर्जन-16-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हरदा	खिरकिया	कालधड	0.032	भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया	चारूवा माईनर की 6 आर. सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2824-भू-अर्जन-17-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हरदा	सिराली	रहटाकलॉ	1.337	भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया	मरदानपुर माईनर की कालकुण्ड सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2810-भू-अर्जन-18-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हरदा	खिरकिया	जादोपुरा	0.426	भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया	चारूवा माईनर की 3 एल. सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2816-भू-अर्जन-19-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हरदा	खिरकिया	डगावाभट्ट	1.128	भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया	मरदानपुर माईनर की कालकुण्ड सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2808-भू-अर्जन-20-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हरदा	सिराली	मरदानपुर	1.516	भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया	बाफला माईनर की 9 आर. एवं 11 आर. सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2806-भू-अर्जन-21-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हरदा	सिराली	रहटाकलां	1.607	भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया	बाफला माईनर की 1 आर. ए. सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2826-भू-अर्जन-22-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हरदा	सिराली	रहटाकलां	4.358	भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया	बाफला माईनर की 3 आर. एवं 5 आर. सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2818-भू-अर्जन-23-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हरदा	सिराली	पंधान्या	1.173	भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया	बाफला माईनर की 11 आर. सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) आदि अपर कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुदाम खाडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 23 मार्च 2013

प्र. क्र. 8 अ-82-वर्ष 2012-13-भू-अर्जन-3101.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता होने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	खरसाली	9.853	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, मुलताई.	यू. आई.डी.एस.एस.एम.टी. जल आवर्धन योजनान्तर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 9 अ-82-वर्ष 2012-13-भू-अर्जन-3102.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता होने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	थावरिया	6.710	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, मुलताई.	यू. आई.डी.एस.एस.एम.टी. जल आवर्धन योजनान्तर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 10 अ-82-वर्ष 2012-13-भू-अर्जन-3103.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता होने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	चैनपुर	13.949	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, मुलताई.	यू. आई.डी.एस.एस.एम.टी. जल आवर्धन योजनान्तर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 11 अ-82-वर्ष 2012-13-भू-अर्जन-3104.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता होने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	हरदोली	21.057	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, मुलताई.	यू. आई.डी.एस.एस.एम.टी. जल आवर्धन योजनान्तर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश प्रसाद मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

होशंगाबाद, दिनांक 21 मार्च 2013

क्र. 828-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
होशंगाबाद	इटारसी	ग्राम-रैसलपुर प. ह. नं.-15	0.368	प्रबंध संचालक, म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल.	कृषि विपणन हेतु लाजिस्टिक हब हेतु रेल्वे लाइन बिछाने हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय एवं भू-अर्जन अधिकारी, इटारसी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

होशंगाबाद, दिनांक 23 मार्च 2013

क्र. 869-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
होशंगाबाद	इटारसी	सोनासांवरी प. ह. नं.-14	1.242	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (भा/स) शाखा उपसंभाग, क्रमांक-1, होशंगाबाद.	इटारसी से सोनासांवरी-सावलखेडा मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय एवं भू-अर्जन अधिकारी, इटारसी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 25 मार्च 2013

क्र. क-प्र. भू-अर्जन-2012-2013-2582.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल ख. नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	देवरी	समनापुर खरगराम	3	0.67	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्र. 1, सागर.	समनापुर जलाशय योजना के एसकेप एवं चैनल हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है—समनापुर जलाशय योजना के एसकेप एवं चैनल हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 25 मार्च 2013

क्र. 2630-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	अर्जित की जाने वाली
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	हर्रई	ग्राम—भुमका ब. नं. 46 प.ह.नं. 21 रा.नि.मं.-बटकाखापा	रकबा 0.273 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा जिला-छिन्दवाड़ा	भुमका जलाशय के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव नहर उपसंभाग नम्बर-2, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

न्यायालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 25 मार्च 2013

क्र. 1137-रीडर-1-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना

है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होगें. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसमें सम्बद्ध लागू होते है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	झाबुआ	आमलीफलिया	0.030	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लि. इन्दौर.	झाबुआ-जोबट-कुक्षी राजमार्ग क्रमांक-39 पर ग्राम आमलीफलिया मोड़ सुधार कर नव परिवर्तित मार्ग हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, झाबुआ के कार्यालय एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लि. इन्दौर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1284-भू-अर्जन-रीडर-1-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आवश्यक सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/जिला	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	थांदला/झाबुआ	रामनगर	1.38	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 झाबुआ.	भीमपुरा बैराज के निर्माण हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय झाबुआ में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, झाबुआ तथा अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग थांदला में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 14 मार्च 2013

प्र. क्र. 36-अ-82-2012-13-क्र. 598-भू-अर्जन-2013.— चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी

(ख) तहसील—राजपुर

(ग) ग्राम—भागसुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—33.246 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/2, 3/4	0.324
8/2	0.300
8/4	0.030
8/5	0.130
9/6	0.849
9/8, 10/4	0.360
9/4	0.089
31/2	0.150
9/5	0.060
25/3	0.060
11/1क	0.500
17/3	0.350
19/4	0.020
23/3, 23/4	0.845
23/5	0.990
24/2	0.112
25/2	0.300
27	0.330
29	0.520
30/2	0.130
39/1	0.110
39/6	0.230
40/2	0.500
42/1	0.780
42/2	0.020
43/2, 43/3, 44,49/1	1.300
43/5	0.300
43/6	0.500
46	0.030
54/3, 59	0.740
58/2	0.243
58/3	0.016
58/4	0.454
62/3	0.180
62/4	0.170
62/5	0.505
62/6	0.300
63/2	0.502
63/3	0.506
64/2	0.270
64/3	0.502
64/4	0.500
66/5	0.160
66/6	0.709
78, 80	0.500
82/3, 206	1.040
82/4, 207/1, 208/1	0.270
82/5, 207/2, 208/2	0.900
105/2	0.080
105/3	0.110
105/4, 106/1	0.560
105/5, 106/2	0.530
107/2, 108, 109/1	0.570
110/2, 135/2	0.620
135/1	0.070
136	0.740
137/1	0.370
137/2	0.630
137/3	0.200
138/1, 138/3	0.150
138/2	0.090
138/4	0.190
138/5	0.330

(1)	(2)
138/6	0.280
138/7	0.300
138/8	0.160
139/5, 141/6	0.400
141/2, 142/1, 143	1.060
142/2	0.280
142/3	0.220
142/4	0.240
139/4, 141/5	0.120
172/1	0.880
205/5, 210/4, 212/2	0.900
210/2, 212/5, 213/2	0.070
210/5, 212/3	0.120
215/1	0.680
215/2	0.200
228/3	0.930
230	0.450
232	0.160
233/1	0.950
234/1	0.920
योग. .	33.246

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—शहीद भीमा नायक परियोजना (लोअर गोई) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, बड़वानी भू-अर्जन अधिकारी, लोअर गोई, परियोजना, नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 37-अ-82-2012-2013-क्र. 597-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी

(ख) तहसील—राजपुर

(ग) ग्राम—साली

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.015 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
12/2	0.160
12/3	0.180
93/1क	0.580
93/1ख	0.210
93/2	0.100
93/3	0.290
93/4	0.280
95/1	0.370
95/2	0.235
97/2	0.250
98/2	0.310
100/2	0.210
100/4	0.330
100/5	0.410
101/2	0.030
136	0.070
योग. .	4.015

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—शहीद भीमा नायक परियोजना (लोअर गोई) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, बड़वानी भू-अर्जन अधिकारी, लोअर गोई, परियोजना, नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 38-अ-82-2012-2013-क्र. 596-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी

(ख) तहसील—राजपुर

(ग) ग्राम—राईपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—12.013 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/2	0.410
2/3, 3/4	0.390
2/8	0.550
2/10	0.750
3/5	0.540
4/3, 5/3, 7/2	0.500
5/2	0.320
7/1/1	0.630
7/3, 8/7	0.240
8/2	0.110
8/4, 10/2	0.053
10/1क	0.190
10/1ख	0.200
10/1ज	0.073
10/1घ पैकि	0.160
10/1घ पैकि	0.300
10/1ड पैकि	0.288
10/1छ पैकि	0.159
10/3	0.260
10/4	0.130
11	0.035
12/1, 13/2, 13/3	0.140
12/3	0.335
87 पैकि	0.450
88, 92/2	0.400
89/1, 89/3	0.150
89/2	0.100
90/1, 109/4	0.600
91/3	0.080
107	0.150
108/1ख, 108/2क	0.620
108/1ग, 109/3	0.100
108/2ख	0.820
153/2	0.100
164/1	0.950
164/4	0.600
164/9	0.100
165/4	0.030
योग . .	12.013

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—शहीद भीमा नायक परियोजना (लोअर गोई) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, बड़वानी, भू-अर्जन अधिकारी, लोअर गोई परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 39-अ-82-2012-2013-क्र. 595-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी

(ख) तहसील—बड़वानी

(ग) ग्राम—गोठानिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल—15.239 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
136/2, 138/1, 138/2, 139	0.450
136/5	0.050
136/6	0.180
137/1	0.020
137/2	1.292
141	0.348

(1)	(2)
142	0.010
151	0.560
156/2	0.218
156/3	0.081
156/8	0.235
156/9	0.162
156/10	0.129
156/12	0.170
156/11	0.214
157/1	0.740
157/2	0.330
157/3	0.340
185	0.757
200	0.915
235	0.975
236	0.283
237	0.300
238/1	0.130
238/2	0.250
242/1	0.210
242/2	0.809
244	0.206
245	0.030
297/5, 337	0.600
297/6, 331	1.260
299/3	0.060
299/4	0.150
299/5	0.100
299/6	0.100
319	0.480
320/2	0.050
320/3	0.040
324	0.075
325	0.060
327/1, 328/2	0.290
329/1	0.260
329/2	0.090
343	0.120
364	1.080
400	0.030
योग . .	15.239

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—शहीद भीमा नायक परियोजना (लोअर गोई) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, बड़वानी, भू-अर्जन अधिकारी, लोअर गोई परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

रा. प्र. क्र. 42-अ-82-2012-2013-क्र. 599-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) परिसंपत्ति का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी

(ख) तहसील—बड़वानी

(ग) ग्राम—वेदपुरी पूरक प्रकरण,
(शासकीय भूमि में स्थित मकान).

(घ) लगभग क्षेत्रफल—66.20 वर्गमीटर.

सरल क्र.	मकान मालिक का नाम	अधिग्रहित मकान की संख्या	मकान का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री मगन पिता सिलदार	1	48.58
2	मीठ्या पिता गेदया	1	17.62
	योग . .	2	66.20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—लोअर गोई परियोजना के मुख्य बांध निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, लोअर गोई परियोजना, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-12 राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

रा. प्र. क्र. 43-अ-82-2012-2013-क्र. 600-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये

आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) परिसंपत्ति का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—बड़वानी
(ग) ग्राम—पांचपुला उत्तर पूरक प्रकरण, (निजी भूमि में स्थित).
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1190.91 वर्गमीटर.

स. क्र.	मकान मालिक का नाम	अधिग्रहित मकान की संख्या	मकान का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	कलाबाई पिता रायसिंग	1	107.36
2	सुरमल पिता रातु	1	21.46
3	राजु पिता भूरला	1	10.58
4	अनसिंग पिता फुलसिंग	1	61.00
5	फुलसिंग पिता रातू	1	66.36
6	चैनसिंग पिता रातु	1	44.20
7	लछा पिता फुलसिंग	1	80.59
8	शंकर पिता रातू	1	92.40
9	सरपया पिता सूरमल	1	72.52
10	सूरमल/रातू	1	76.70
11	रालसिंग पिता साहदरया	1	73.00
12	साहदरया/रातू	1	28.56
13	सूरमल/रातू	1	86.00
14	सूरमल/रातू	1	47.69
15	भारत पिता भूरसिंग	1	39.13
16	भूरसिंग/जामा	1	48.64
17	जामा/रातू	1	73.14
18	धना/जामा	1	47.17
19	लक्ष्मण पिता भावसिंग	1	42.18
20	मिश्रीलाल पिता धुलसिंग	1	38.59
21	लकडिया भाया पिता कुशिया, (1-कुंआ).	1 (कुंआ)	33.64
	योग . .		1190.91

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—लोअर गोई परियोजना के मुख्य बांध निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, लोअर गोई परियोजना, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-12 राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

रा. प्र. क्र. 44-अ-82-2012-13-क्र. 594-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—बड़वानी
(ग) ग्राम—पांचपुला उत्तर पूरक प्रकरण, (निजी कृषि भूमि).
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.141 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
252/2, 612/1	0.405
733/2	0.101
735/5	0.304
784/1, 792/2	1.331
योग . .	2.141

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—लोअर गोई परियोजना के मुख्य बांध निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, लोअर गोई परियोजना, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-12, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 15 मार्च 2013

प्र. क्र. 29-अ-82-2012-13-क्र. 623-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची

के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) परिसंपत्ति का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी

(ख) तहसील—बड़वानी

(ग) ग्राम—पांचपुला उत्तर पूरक प्रकरण (शासकीय)

(घ) लगभग क्षेत्रफल—245.79 वर्गमीटर.

सरल क्र.	मकान मालिक का नाम	अधिग्रहित मकान की संख्या	मकान का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सखाराम पिता गुलाब	1	65.18
2	भीमसिंग पिता धनजी	1	180.61
	योग . .	2	245.79

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—लोअर गोई परियोजना के मुख्य बांध निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, लोअर गोई परियोजना, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-12 राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

रा. प्र. क्र. 40-अ-82-2012-13-क्र. 624-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) परिसंपत्ति का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी

(ख) तहसील—बड़वानी

(ग) ग्राम—पांचपुला दक्षिण पूरक प्रकरण
(शासकीय भूमि में).

(घ) लगभग क्षेत्रफल—120.05 वर्गमीटर.

सरल क्र.	मकान मालिक का नाम	अधिग्रहित मकान की संख्या	मकान का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री कालू पिता सवजी	1	9.60
2	रतन पिता मांग्या	1	39.78
3	टेमरिया पिता मांग्या	1	23.92
4	शोभाराम पिता रेदा	1	46.75
	योग . .	4	120.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—लोअर गोई परियोजना के मुख्य बांध निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, लोअर गोई परियोजना, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-12 राजपुर, जिला-बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 18 मार्च 2013

रा. प्र. क्र. 41-अ-82-2012-13-क्र. 632-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) परिसंपत्ति का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी

(ख) तहसील—बड़वानी

(ग) ग्राम—वेदपुरी पूरक प्रकरण
(निजी भूमि में स्थित मकान)

(घ) लगभग क्षेत्रफल—74.80 वर्गमीटर.

सरल क्र.	मकान मालिक का नाम	अधिग्रहित मकान की संख्या	मकान का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	चेंदीबाई बेवा पाण्ड्या	1	74.80
	योग . .	1	74.80

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—लोअर गोई परियोजना के मुख्य बांध निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, लोअर गोई परियोजना, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-12 राजपुर, जिला-बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 15 मार्च 2013

क्र. 2764-65-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि

(क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—जीरापुर
(ग) ग्राम—बंदा
(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—16.988 हेक्टर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
80/2/1	1.500
109	4.000
113/1/1	0.301
114/1/1	0.308
115/1/1	0.163
116/1/1	0.138
117/1/1	0.169
113/1/2	0.300
114/1/2	0.309
115/1/2	0.163
116/1/2	0.139
117/1/2	0.169
113/2/1	0.301
114/2/1	0.308
115/2/1	0.163
116/2/1	0.139
117/2/1	0.169
113/2/2	0.150
114/2/2	0.154
115/2/2	0.082
116/2/2	0.069
117/2/2	0.084
113/2/3	0.150
114/2/3	0.154
115/2/3	0.081
116/2/3	0.069
117/2/3	0.085
118/1	0.530
119/1	0.134
120/1	0.182
121/1	0.166
118/2	0.530
119/2	0.133
120/2	0.182
121/2	0.166
112/1	1.848
112/2	1.100
400	0.200
401/1	1.000
401/2	1.000
योग . .	16.988

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—डोब तालाब योजना के बांध निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खिलचीपुर-जीरापुर एवं भू-अर्जन अधिकारी, खिलचीपुर-जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2768-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894

(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि

(क) जिला—राजगढ़

(ख) तहसील—जीरापुर

(ग) ग्राम—डोब

(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—32.945 हेक्टर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
5/1/1/1/3	0.809
5/1/1/1/6	0.809
5/1/1/1/7	0.809
5/1/1/1/8	0.809
5/1/1/1/10/2	2.000
5/1/1/1/10/3	1.000
5/1/1/1/10/4	1.000
5/1/1/1/11/3	1.000
5/1/1/1/11/5	1.000
10/1/2/10/2	3.036
10/2	2.023
7/1	1.366
7/2	0.253
9/5/2	0.405
9/6	0.607
9/7	0.607
9/8	0.405
9/10	0.405
9/12	0.534
10/1/1	1.975
9/11	0.405
11/1, 12/1	0.233
13	0.709
11/2, 12/2	0.941
14/1	0.243
14/2	0.243
14/3	0.243
14/4	0.243
14/5	0.243
14/6	0.243
14/7	0.243
14/8	0.304
56/1	2.000
56/2	3.000
57	0.061
58	0.065
60/1	2.000
60/2	0.674
योग . .	32.945

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—डोब तालाब योजना के बांध निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खिलचीपुर-जीरापुर एवं भू-अर्जन अधिकारी, खिलचीपुर-जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2771-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि

(क) जिला—राजगढ़

(ख) तहसील—जीरापुर

(ग) ग्राम—माचलपुर

(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—45.237 हेक्टर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
1537	0.100
1539	0.500
1540	0.700
1541, 1542	3.648
1544	0.890
1545	1.004

(1)	(2)
1546	0.890
1547	1.416
1548	0.340
1549	0.084
1550	0.648
1551	0.154
1538	0.200
1543	0.405
1552/2, 1553/2/2	1.325
1557	0.825
1558	3.000
1559	3.796
1561/1	0.476
1562/3	0.625
1561/2	0.475
1562/1	0.874
1562/2	0.751
1563/1	0.232
1563/2	0.216
1564/2	0.334
1576/1	1.047
1577/1	1.128
1576/2	1.275
1577/2	0.470
1578	0.372
1588	0.607
1580	2.792
1581	1.255
1582	2.003
1584	1.215
1589	0.628
1570	0.425
1572/1	0.227
1574/1	0.415
1575/1	0.130
1572/2, 1573,	0.334
1574/2, 1575/2	0.000
1594/2, 1594/3	0.101
1595	0.202
1565/2	1.000
1596/1	0.251
1565/1/1	0.258
1565/1/2	0.259
1565/1/3	0.258
1565/3	1.000
1566	1.815
1620	0.101
1621/1/2	1.000
1621/1/3	0.380
1622/1/1	0.380
कुल योग . .	45.237

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—डोब तालाब योजना के बांध निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खिलचीपुर-जीरापुर एवं भू-अर्जन अधिकारी, खिलचीपुर-जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजगढ़, दिनांक 18 मार्च, 2013

क्र. 2806-07-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (बांकपुरा तालाब के परिवर्तित वेस्टवियर में प्रभावित भूमि) के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—राजगढ़

(ख) तहसील—ब्यावरा

(ग) ग्राम—बांकपुरा एवं कालाकोट

(घ) लगभग क्षेत्रफल—20.050 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
ग्राम—बांकपुरा	
193	0.864
210/2	0.900
199	0.940

(1)	(2)
204/3/2	0.126
200	0.911
204/3/1	0.126
197/1	0.106
197/2	0.125
204/1	1.011
273/204	0.063
204/4	0.152
205/2	0.132
210/1	0.901
198	0.246
204/2/1	1.265
204/2/2	1.264
196/2	0.202
योग . .	9.334

ग्राम—कालाकोट

3/10	0.732
3/14	0.330
3/13	2.130
3/1	0.506
57/1	0.025
1/2	0.379
64/3/3	0.601
55/3	0.400
53/1	0.051
52/1	0.400
63/1	0.300
64/3/1	0.395
64/3/2/1	0.142
64/3/2/2	0.253
3/8	1.012
3/6	0.200
3/5	1.960
12/12	0.900
योग . .	10.716
महायोग . .	20.050

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बांकपुरा तालाब के परिवर्तित वेस्टवियर में प्रभावित भूमि हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2810-11-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—राजगढ़

(ख) तहसील—ब्यावरा

(ग) नगर/ग्राम—पीलबे, बंजारी, चाठा, मोया, चमारी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—30.829 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)

ग्राम—पीपलबे

46/2	0.570
45/1	0.330
45/2	0.330
44	0.120
27	0.350
49	0.320
73	0.380
74	0.443
52/1	0.060
52/2	0.065
50	1.300
76	0.240
79	0.100
393/46	0.107
47	0.170
51	0.750
46/7/1	0.390
46/7/4	0.300
46/7/2	0.300
46/7/5	0.300
46/7/3	0.350
46/7/6	0.330
योग . .	7.841

(1)	(2)
ग्राम—बंजारी	
565/4	0.050
564/4	0.240
565/1	0.070
566/1	0.070
565/3	0.030
566/3	0.160
564/2	0.080
565/2	0.240
566/2	0.155
563	0.300
570	0.170
571/1	0.700
630/496	0.400
496/1/4	0.164
578/1	1.220
631/581	0.660
581/1	0.540
614/1	0.160
614/2	0.290
613/1	0.260
613/2	0.120
620	0.380
621	0.130
609	0.230
622/1	0.013
610	0.060
608/2	0.265
योग . .	7.157
ग्राम—चाठा	
287	0.440
286	0.160
290/2	0.190
290/1	0.540
311	0.260
291/2	0.030
303/1	0.825
320	0.510
314	0.095
310	0.720
306	0.114
308	0.030
312	0.044
341/2	0.030
342/2	0.300
342/1/3	0.300
342/1/1	0.010
342/1/2	0.595
346/2	0.010
347/1/1	0.010
347/1/2/2	0.260
348/1/2	0.020
348/2	0.171
357/2	0.130
357/3	0.090
347/1/2/1	0.245
347/2/1	0.285
357/1/1	0.013
357/1/2	0.440
358/1	0.010
योग . .	6.877
ग्राम—मोया	
295	0.051
296	0.610
392/304	0.013
34/2/1	0.300
40/1/1	0.150
40/1/2	0.200
297	0.030
299	0.180
301	0.210
293/2	0.720
302/1	0.415
302/2	0.390
302/3	0.013
40/2	0.220
43/1	0.210
42	0.160
41/1/1/1	0.040
41/2/1	0.150
43/2	0.030
41/2/2	0.180
44/4	0.050
योग . .	4.322

(1)	(2)
ग्राम—चमारी	
24/1	0.210
24/2	0.180
23	0.126
26	0.013
9/4	0.440
9/3	0.045
270/10/1	0.360
13/2	0.220
14/1/2, 14/1/1	0.310
17/1	0.310
17/2	0.840
174	0.510
19/1	0.155
175/1	0.160
175/2	0.450
25	0.090
270/10/2	0.038
270/10/3	0.175
योग . .	4.632
महायोग . .	30.829

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन, ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजगढ़, दिनांक 25 मार्च, 2013

क्र. 3277-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि

(क) जिला—राजगढ़

(ख) तहसील—खिलचीपुर

(ग) ग्राम—मेहराजपुरा

(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—00.646 हेक्टर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
292/14	0.065
292/16	0.310
292/60	0.036
292/67	0.235
योग . .	0.646

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—कटारमल जी तालाब की पाल, वेस्टवियर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खिलचीपुर-जीरापुर एवं भू-अर्जन अधिकारी, खिलचीपुर-जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3279-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि

(क) जिला—राजगढ़

(ख) तहसील—खिलचीपुर

(ग) ग्राम—करनपुरा, बीजपड़ी, चमारी, लसुड़ली

(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—1.650 हेक्टर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
ग्राम—करनपुरा	
11	0.120
योग . .	0.120
ग्राम—बीजपड़ी	
17/1	0.030
योग . .	0.030

(1)	(2)
ग्राम—चमारी	
71/1	0.120
118	0.050
134	0.200
137	0.050
योग . .	0.420
ग्राम—लसुड़ली	
369/4/2	0.060
221	0.030
225/1/3	0.050
225/1/4	0.050
187/2	0.100
164/2	0.070
165	0.050
157	0.200
31	0.050
29	0.100
25/3	0.040
75	0.040
10	0.080
77	0.050
369/4/3	0.070
369/4/1	0.020
226/3	0.020
योग . .	1.080
महायोग . .	1.650

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—पाड़ल्याखेड़ी तालाब की नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खिलचीपुर-जीरापुर एवं भू-अर्जन अधिकारी, खिलचीपुर-जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3281-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि

(क) जिला—राजगढ़

(ख) तहसील—खिलचीपुर

(ग) ग्राम—गुमानीपुरा, अम्बावता, हालाहेड़ी व कछोटिया

(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—01.752हेक्टर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
ग्राम—गुमानीपुरा	
2	0.054
23/18	0.320
23/40	0.280
23/93	0.020
योग . .	0.674
ग्राम—अम्बावता	
660/5/6	0.144
660/5/7	0.199
660/5/10	0.136
660/5/11	0.290
योग . .	0.759
ग्राम—हालाहेड़ी	
294/1/2	0.010
योग . .	0.010
ग्राम—कछोटिया	
932	0.169
934/1	0.055
934/2	0.055
930/4	0.030
योग . .	0.309
महायोग . .	1.752

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—पानखेड़ी तालाब के बांध एवं वेस्टवियर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खिलचीपुर-जीरापुर एवं भू-अर्जन अधिकारी, खिलचीपुर-जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इन्दौर, दिनांक 18 मार्च 2013

क्र. 612-भू-अर्जन-देपालपुर-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—इन्दौर
(ख) तहसील—देपालपुर
(ग) नगर/ग्राम—छोटी कलमेर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.566 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
421 पैकी	0.222
423/3 पैकी	0.344
योग . .	0.566

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—ग्राम छोटी कलमेर (चांदेर) के समीप देपालपुर केसूर मार्ग के किलोमीटर 9/6 पर निर्माणाधीन उच्च स्तरीय चंबल नदी पर पुल के पहुंच मार्ग के निर्माण बाबद्.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन शाखा अनुभाग, देपालपुर, जिला इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

महू, दिनांक 25 मार्च 2013

क्र. 219-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त सर्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—इन्दौर
(ख) तहसील—(महू) डॉ. अम्बेडकर नगर
(ग) ग्राम—भेरूघाट
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.480 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1 पार्ट	0.480
योग . .	0.480

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32, बड़वाह, जिला-खरगोन (मध्यप्रदेश) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 19 मार्च 2013

क्र. 2392-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 के अन्तर्गत अर्जेन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है. अतः इस प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17(1) एवं 17(4) के प्रावधान लागू होते हैं :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—उमरेठ

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-छावडीकला, प.ह.नं.-22, ब.नं.-174, रा.नि. मंडल-उमरेठ.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—01.560 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर (1)	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
12/6	0.020
109/3	0.028
27/1	0.121
12/9	0.020
12/10	0.020
109/2	0.024
109/1	0.024
18/5	0.020
108	0.105
18/3	0.032
24/1	0.008
107/6	0.020
20/1	0.020
107/7	0.016
20/2	0.061
107/8	0.016
20/3	0.016
107/9	0.020
26	0.032
102/4	0.036
96/1	0.028
96/2	0.020
9	0.020
29/2	0.028
29/1	0.052
30/1	0.060
30/3	0.040
30/2	0.089
30/4	0.052
85	0.024
67/1	0.052
73/1	0.060
73/2	0.036
72/1	0.040
72/2	0.048
69/2	0.036
67/2	0.040
69/1	0.040
67/3	0.012
104/3	0.056
104/4	0.036
95/1	0.016
95/2	0.016
योग . .	01.560

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सोनापिपरी-उमरेठ-मुआरी-अम्बाडा (एम.डी.आर.) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, सहायक महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 2393-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 के अन्तर्गत अजेंन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है. अतः इस प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17(1) एवं 17(4) के प्रावधान लागू होते हैं :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—उमरेठ

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-छावडीखुर्द, प.ह.नं.-21, ब.नं.-175, रा.नि. मंडल-उमरेठ.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—0.590 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर (1)	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)	
23/1	0.012	
36/1	0.121	
36/2	0.020	
26/2	0.020	
27/4	0.040	
28/2	0.121	
32/2	0.040	
32/1	0.032	
31/4	0.032	
31/3	0.016	
31/2	0.024	
31/1	0.040	कच्चा मकान
53	0.072	
योग . .	0.590	

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सोनापिपरी-उमरेठ-मुआरी-अम्बाडा (एम.डी.आर.) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, सहायक महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 2394-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 के अन्तर्गत अजेंन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है. अतः इस प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17(1) एवं 17(4) के प्रावधान लागू होते हैं :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—उमरेठ

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-उमरेठ, प.ह.नं.-05, ब.नं.-32, रा.नि. मंडल-उमरेठ.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—01.012 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर (1)	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)	
711	0.105	आम वृक्ष 1
736	0.048	आम वृक्ष 1
706	0.214	जामुन वृक्ष 1
738	0.182	आम वृक्ष 5
753	0.024	
755	0.024	
694/1	0.032	महुआ वृक्ष 1
757/2	0.024	
687	0.182	
685	0.040	
764/4	0.089	
764/5	0.048	
योग . .	01.012	

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सोनापिपरी-उमरेठ-मुआरी-अम्बाडा (एम.डी.आर.) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, सहायक महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 25 मार्च 2013

क्र. 2631-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—छिन्दवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-धमनिया, प.ह.नं.-38, ब.नं.-281, रा.नि. मंडल-छिन्दवाड़ा-1

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—32.944 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर (1)	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
214/6	0.810
214/3	1.214
214/1	2.307
214/2	1.012
214/7	0.810
214/5	0.954
214/4	1.011
220/4	2.043
220/2	0.400
218/2	0.091
217/2	0.405
210/4	0.315
212/1	0.080
220/1	0.975
220/5	1.449
220/3	0.050
218/1	0.091
217/1	0.408
288/2	0.575
291/1	0.400
290	2.193
291/2	1.759
296/1	2.816
294	0.200
296/2	1.100
296/3	0.350
352/1	0.170
352/2	0.283
352/3	0.105
353/11	0.220
359/10, 358/10	0.162
358/11, 359/11	0.202
353/10	0.220
359/9, 358/9	0.162
353/9	0.220
358/8, 359/8	0.162
353/8	0.220
358/7, 359/7	0.162
357/7	0.220
353/6	0.219
361	0.121
358/5, 359/5	0.161
353/4	0.263
358/4, 359/4	0.243
353/1	0.263

(1)	(2)
358/1, 359/1	0.242
353/3	0.263
358/3, 359/3	0.243
353/2	0.250
358/2, 359/2	0.041
353/5	0.250
357/1	0.400
362	0.567
357/2	0.005
358/6, 359/6	0.162
373/1	0.680
364	0.648
207/1	0.031
207/4	0.050
207/6	0.115
207/8	0.115
207/2	0.580
207/7	0.576
371	0.130
योग . .	32.944

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सत्तीधार जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी कन्हरगांव, नहर उप संभाग क्रमांक-2, छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 2632-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—छिन्दवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-शहपुरा, प.ह.नं.-58, ब.नं.-533, रा.नि. मंडल-छिन्दवाड़ा-1

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—59.505 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर (1)	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
3/1	1.505
3/2	0.405
3/3	0.405
5/3	1.214
3/4	0.404
5/1	0.338
5/2	1.214
13/2	0.405
6/2	1.543
5/4	0.331
6/5	0.101
14/7	1.644
6/1	0.076
6/3	0.809
13/5	0.405
14/1	0.405
14/10	0.405
6/4	0.668
7	1.748
13/1	0.405
9	2.023
10	0.166
13/3	1.012
13/4	1.708
12/1	0.607
12/2	2.428

(1)	(2)	(1)	(2)
12/3	1.214	155/1	0.016
12/4	0.607	155/3	0.044
13/6	0.809	202/1	0.096
13/7	0.202	239/1	0.106
13/8	0.405	155/2	0.032
14/6	1.619	158	0.048
14/2	0.405	155/4	0.018
14/3	0.063	157	0.068
14/4	1.214	155/5	0.034
14/5	0.720	163/2, 164/2	0.125
14/8	0.829	165	1.000
14/9	0.833	177	0.360
14/11	0.809	166/1	0.400
15	2.205	166/2	3.594
16	2.205	176	2.059
17/3	0.971	167/1	0.263
17/4	0.971	167/2	0.263
17/1	0.740	167/3	0.526
17/2	1.538	169/1	0.610
17/5	0.405	169/2	0.300
18/1	0.180	169/3	0.300
19/2	0.066	171	0.336
18/3	0.080	173/1	0.089
159	0.096	175/1	0.273
18/4	0.048	173/2	0.089
19/1	0.024	173/5	0.089
22/1	0.096	175/2	0.170
22/6	0.136	173/3	0.089
22/5	0.136	175/3	0.176
22/7	0.010	173/4	0.089
26/1	0.021	175/5	0.273
27/1	1.106	175/4	0.269
26/2	0.121	182/1	0.120
26/3	0.049	185	0.034
27/2	0.474	186/1	0.120
27/3	0.546	220/4	0.072
28/2	0.008	232/2	0.015
168/1	0.304	235/1	0.192
28/3	0.108	239/2	0.130
28/4	0.004	286/1	0.024
168/2	0.304	293/5	0.034
36	0.684	293/7	0.038
38	0.100	293/8	0.044
79	0.072	293/9	0.048
84/6	0.264	295/1	0.058

(1)	(2)
295/2	0.058
295/3	0.053
304/2	0.086
योग . .	59.505

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सत्तीधार जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी कन्हरगांव, नहर उप संभाग क्रमांक-2, छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 25 मार्च 2013

प्र. क्र. 01-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—राजनगर
(ग) ग्राम—सतना
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि —0.730 हेक्टर.

भू-अर्जन खसरा विवरण में भूखण्डों की संख्या	खसरे का क्षेत्रफल अर्जित (हेक्टर में)
(1)	(2)
15/2	0.130
16	0.040
17	0.370
18	0.150
20	0.040
योग . .	0.730

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—6×660 मेगावाट विद्युत् परियोजना हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, राजनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 02-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—राजनगर
(ग) ग्राम—बसारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि —1.590 हेक्टर.

भू-अर्जन खसरा विवरण में भूखण्डों की संख्या	खसरे का क्षेत्रफल अर्जित (हेक्टर में)
(1)	(2)
2833/1	0.050
2833/2	0.130
2833/3	0.380
2835	0.030
2846	0.020
2847	0.200
2848	0.260
2849	0.120

(1)	(2)
2854	0.265
2855/3	0.055
2855/4/1	0.025
2855/1	0.025
2855/5	0.030
योग . .	1.590

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—6×660 मेगावाट विद्युत् परियोजना हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, राजनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 03-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—राजनगर
(ग) ग्राम—बरेठी
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि —19.786 हेक्टर.

भू-अर्जन खसरा विवरण में भूखण्डों की संख्या	खसरे का क्षेत्रफल अर्जित (हेक्टर में)
(1)	(2)
75/4	0.362
651/5	0.789
651/6	0.789
651/7	0.789
718/2	2.023
808/1/1	1.166
808/1/2	0.325
808/2/2	0.080
808/2/1	1.412
809/1	1.896
809/2	1.896
873/1	0.490
874/2	3.683
874/3	3.683
874/4	0.403
योग . .	19.786

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—6×660 मेगावाट विद्युत् परियोजना हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, राजनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 04-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—राजनगर
(ग) ग्राम—सांदनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि —2.500 हेक्टर.

भू-अर्जन खसरा विवरण में भूखण्डों की संख्या	खसरे का क्षेत्रफल अर्जित (हेक्टर में)
(1)	(2)
252/1	0.500
1085/1	2.000
योग . .	2.500

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—6×660 मेगावाट विद्युत् परियोजना हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, राजनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश बहुगुणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 14 मार्च 2013

क्र. दस-भू-अर्जन-फा 576-प्र.क्र. 9-अ-82-2012-13-1571.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—जयसिंहनगर
(ग) ग्राम—अमझोर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.171 हेक्टर.

ग्राम—अमझोर, पटवारी हल्का अमझोर नम्बर 85

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
2	1.558
7	0.613
कुल योग . .	2.171

(2) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—जयसिंहनगर
(ग) ग्राम—धनेहरा (बीरान)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.717 हेक्टर.

ग्राम—धनेहरा (बीरान) पटवारी हल्का झारा नम्बर 83

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
15	0.174
21	0.061
22	0.109
23	0.478
26	0.397
29	0.134
30	0.061
33	0.170
36	0.162
37	0.186
38	0.020
39	0.368
40	0.328
42	0.049
47	0.049
50	0.295
56	0.239
58	0.069
16	0.216
17	0.377
24	0.129
25	0.255
34	0.372
35	0.182
48	0.178
49	0.012
52	0.069
53	0.065
54	0.061
32/1	0.137
19/2	0.091
32/2	0.065
44	0.024
45	0.162
46	0.091
55	0.227
57	0.069
19/3	0.091
27	0.028
28	0.376
19/1	0.091
कुल योग . .	6.717

(3) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—जयसिंहनगर
(ग) ग्राम—दरौड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.223 हेक्टर.

ग्राम—दरौड़ी पटवारी हल्का झारा नम्बर 83

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
94	0.165

(1)	(2)
96	0.150
95	0.146
97/1	0.202
98	0.662
99	0.898
कुल योग . .	2.223

(4) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—जयसिंहनगर
(ग) ग्राम—आमाझिरिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—13.628 हेक्टर.

ग्राम—आमाझिरिया, पटवारी हल्का बड़काडोल नम्बर 82

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
27/4ख	0.405
27/4ग	0.405
30	0.462
31	0.235
35	0.518
32	1.833
51	0.494
57	0.388
37	0.101
59	0.028
38	0.356
47/2	0.809
33/2	0.223
33/3	0.222
40	0.239
34	0.809
36	0.214
47/5	0.243
56	0.340
33/1	0.223
53	0.142
61	0.198
39	0.028
41	0.077
42	0.514
43	0.089
54	0.263
55/1	0.688
343/2ख	0.036
91	0.049
343/2क	0.032
64	0.178
66	0.109
343/1	0.101
74	0.126
89	0.121
343/8	0.123
341	0.128
349/1ख	0.129
349/3/1	0.101
55/2	0.405
48	0.223
47/3	0.109
47/4	0.109
343/2ग	0.049
344/2क	0.036
62	0.065
275	0.101
144/2	0.126
345/2	0.107
88	0.123
92	0.085
346/2	0.125
342	0.057
349/2	0.129
कुल योग . .	13.628

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—आमाझिरिया जलाशय योजना निर्माण से प्रभावित ग्राम अमझोर की रकबा 2.171 हे. ग्राम धनेहरा (बीरान) की रकवा 6.717 हे. ग्राम दरौड़ी की रकबा 2.223 हे. एवं ग्राम आमाझिरिया की रकबा 13.628 हे. निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर, जिला शहडोल में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 14 मार्च 2013

क्र. 693-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—कोटर
(ग) नगर/ग्राम—गोरइया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—01.456 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	निजी भूमि (अ) हे.	शासकीय भूमि (ब) हे.
(1)	(2)	(3)
84	0.048	—
133	0.056	—
135	0.092	—
140	—	0.096
196	0.129	—
199	0.095	—
200	0.106	—
204	0.040	—
232	0.317	—
913	0.018	—
102	0.015	—
118	0.159	—
134	0.170	—
158	0.115	—
योग . .	1.360	0.096
महायोग . .	(अ+ब)	1.456

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 695-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

पूरक अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) नगर/ग्राम—जोकिहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.220 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
170	0.220
कुल योग . .	0.220

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की मनकहरी माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 697-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह

घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

पूरक अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) नगर/ग्राम—मनकहरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.043 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
604	0.043
कुल योग . .	0.043

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की मनकहरी माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 15 मार्च 2013

क्र. 717-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—शाहपुर 540
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.064 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1506	0.064
कुल योग . .	0.064

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत शाहपुर डिस्ट्रीब्यूटरी नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 719-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—बदरांव गौतमान
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.044 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
अशासकीय	
(1)	(2)
586	0.008
योग . .	0.008
शासकीय	
561	0.036
योग . .	0.036
कुल योग . .	0.044

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत महरी माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 18 मार्च 2013

प्र. क-03-82-वर्ष-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में

वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दमोह

(ख) तहसील—बटियागढ़

(ग) नगर/ग्राम—केरबना, गूगराकलां, कैथोरा, पथरिया, तिंदुआ, सैडारा, कुम्हरवार, शेखपुरा, बटियागढखास, बसिया, सरिया.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—27.144 हेक्टेयर.

खसरा नंबर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
ग्राम—केरबना	
12 में से	0.204
33 में से	0.115
योग . .	0.319
ग्राम—गूगराकलां	
756 में से	0.200
755 में से	0.180
758/3 में से	0.080
758/2 में से	0.080
758/4 में से	0.080
758/5 में से	0.120
758/6 में से	0.080
786 में से	0.600
787/1 में से	0.210
789 में से	0.050
योग . .	1.680
ग्राम—कैथोरा	
2 में से	0.020
3 में से	0.250
47 में से	0.350
65 में से	0.010
66 में से	0.380
64/2 में से	0.050
67/1 में से	0.220
67/2 में से	0.220
68/4 में से	0.080
96 में से	0.001
97 में से	0.130
98 में से	0.008
99 में से	0.005
105 में से	0.130
110/1 में से	0.070
110/2 में से	0.070
114/2 में से	0.160
114/3 में से	0.060
114/4 में से	0.060
114/5 में से	0.300
114/6 में से	0.220
114/8 में से	0.300
114/9 में से	0.120
114/14 में से	0.040
योग . .	3.254
ग्राम—पथरिया	
87/1 में से	0.020
87/2 में से	0.020
86 में से	0.120
31/1 में से	0.070
31/2 में से	0.080
31/3 में से	0.080
32 में से	0.004
85/1 में से	0.110
85/2 में से	0.230
84 में से	0.050
83 में से	0.040
82 में से	0.005
78 में से	0.218
75/1 में से	0.320
75/2 में से	0.320
71 में से	0.320
65/1 में से	0.080
65/2 में से	0.090
64/1 में से	0.150
64/2 में से	0.070
64/3 में से	0.070
63/1 में से	0.004

(1)	(2)
63/2 में से	0.004
63/3 में से	0.004
62 में से	0.040
59/1 में से	0.060
59/2 में से	0.060
56/1 में से	0.090
56/2 में से	0.100
56/3 में से	0.090
50 में से	0.190
योग . .	3.111

ग्राम—तिन्दुआ

103 में से	0.128
102 में से	0.096
7/1 में से	0.268
6/2 में से	0.128
5 में से	0.156
योग . .	0.776

ग्राम—सैडारा

36 में से	0.040
45 में से	0.234
49 में से	0.160
50/1 में से	0.160
50/2 में से	0.080
54 में से	0.010
51 में से	0.100
53 में से	0.120
35 में से	0.110
34 में से	0.200
31/2 में से	0.166
29 में से	0.150
28 में से	0.012
239 में से	0.026
22 में से	0.020
21/1 में से	0.080
20/1 में से	0.230
20/2 में से	0.050
17/1 में से	0.240
257 में से	0.090
14 में से	0.130
13 में से	0.100
259 में से	0.044
योग . .	2.552

ग्राम—कुम्हरवारा

11 में से	0.083
12 में से	0.032
13 में से	0.085
16 में से	0.030
18 में से	0.019
20 में से	0.060
37 में से	0.022
35 में से	0.140
34 में से	0.150
55 में से	0.017
42 में से	0.028
43 में से	0.076
44 में से	0.043
45 में से	0.021
51 में से	0.001
49 में से	0.031
47 में से	0.029
48 में से	0.130
160/1 में से	0.220
162 में से	0.058
योग . .	1.275

ग्राम—शेखपुरा

9 में से	0.207
8 में से	0.072
5 में से	0.016
45 में से	0.154
43 में से	0.010
51 में से	0.332
52 में से	0.072
योग . .	0.863

ग्राम—बटियागढ़

746 में से	0.200
743/1 में से	0.066
743/2 में से	0.066
743/3 में से	0.066

(1)	(2)	(1)	(2)
734 में से	0.013	1108/3 में से	0.080
733 में से	0.191	1108/2 में से	0.070
731 में से	0.010	1108/1 में से	0.080
732 में से	0.126	1101/2 में से	0.050
728/1 में से	0.040	1101/1 में से	0.152
728/2 में से	0.040	1101/3 में से	0.020
728/3 में से	0.060	1100 में से	0.092
726 में से	0.046	1098 में से	0.328
724 में से	0.152	1097 में से	0.084
723/1 में से	0.120	1085 में से	0.156
723/2 में से	0.060	1084 में से	0.196
721 में से	0.080	1089/3 में से	0.030
720 में से	0.064	1089/2 में से	0.064
718 में से	0.041	1089/1 में से	0.030
717 में से	0.036	1091 में से	0.136
656/2 में से	0.020	1090/2 में से	0.700
656/1में से	0.130	1090/1 में से	0.076
652/1 में से	0.160	613 में से	0.198
652/2 में से	0.070	612/6 में से	0.068
652/3 में से	0.070	612/8 में से	0.017
540 में से	0.206	612/4 में से	0.040
537 में से	0.022	612/5 मेंसे	0.016
536 में से	0.040	612/2 में से	0.040
80 में से	0.176	612/7 में से	0.016
78 में से	0.092	612/1 में से	0.066
77 में से	0.068	612/3 में से	0.017
54 में से	0.040	610/4 में से	0.040
53 में से	0.020	610/3 में से	0.066
52/2 में से	0.020	610/2 में से	0.040
52/3 में से	0.120	610/1 में से	0.050
52/4 में से	0.030	609 में से	0.096
51 में से	0.064	1170 में से	0.260
49/1 में से	0.034	1171 में से	0.068
49/2 में से	0.030	1172 में से	0.003
45 में से	0.046	1175 में से	0.216
43 में से	0.150	1189 में से	0.016
42 में से	0.103	1190/1 में से	0.096
41 में से	0.145	1190/3 में से	0.120
744 में से	0.232	1190/4 में से	0.120
1111 में से	0.005	1191/1 में से	0.200
1110/2 में से	0.150	1194 में से	0.056
1110/1 में से	0.150	1191/2 में से	0.120
1109/2 में से	0.034	1195 में से	0.064
1109/1 में से	0.030	1196 में से	0.084

(1)	(2)
541 में से	0.170
542 में से	0.110
525/1 में से	0.110
525/2 में से	0.100
524 में से	0.080
523/1 में से	0.035
523/2 में से	0.035
543 में से	0.003
544 में से	0.030
546 में से	0.005
521/1 में से	0.050
521/2 में से	0.050
571 में से	0.004
477/1 में से	0.080
478/2 से 11 में से	0.104
572/1 में से	0.030
573/3 में से	0.030
573 में से	0.080
574 में से	0.080
575 में से	0.080
योग . .	9.737

ग्राम—बसिया

174/1 में से	0.080
174/2 में से	0.040
172 में से	0.001
173 में से	0.036
175/1 में से	0.029
193 में से	0.028
192 में से	0.248
206 में से	0.007
191/1 में से	0.084
190/2 में से	0.060
189/1 में से	0.080
189/2 में से	0.080
188 में से	0.036
187 में से	0.060
185 में से	0.054
186 में से	0.054
229 में से	0.126
222/1 में से	0.140
222/2 में से	0.080
228 में से	0.019
223/1 में से	0.130
223/2 में से	0.130
226/1 में से	0.110
237 में से	0.110
236 में से	0.120
239/1 में से	0.120
240 में से	0.220
241 में से	0.008
190/1 में से	0.100
योग . .	2.390

ग्राम—सरिया

432 में से	0.023
433 में से	0.180
434 में से	0.030
438 में से	0.240
439/1, 2 में से	0.224
475 में से	0.128
477 में से	0.050
476 में से	0.064
478/1 में से 478/2 में से	0.160
479 में से	0.040
480 में से	0.048
योग . .	1.187

केरबना	0.319
गूगर कला	1.680
कैथोरा	3.254
पथरिया	3.111
तिन्दुआ	0.776
सैडारा	2.552
कुम्हरवार	1.275
शेखपुरा	0.863
बटियागढ खास	9.737
बसिया	2.390
सरिया	1.187
महायोग . .	27.144

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—पंचम नगर परियोजना के बांयी तट नहर निर्माण के अर्जन में आने वाली भूमि का निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखंड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 सागर म. प्र. के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 03-अ-82-वर्ष 2011-2012-**संशोधन.**—कार्यालयीन पत्र दिनांक 24 अगस्त 2012 से ग्राम वर्धा, तहसील हटा, जिला दमोह का खसरा नम्बर 1554 एवं 1555 भू-अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा, प्रयोजन, वर्धा जैतपुर मार्ग के वरैया नाला पर पुल निर्माण में प्रभावित का प्रकाशन, मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1, दिनांक 7 सितम्बर 2012 के पृष्ठ क्रमांक 3341 पर तथा समाचार पत्र आचरण सागर, दिनांक 2 सितम्बर 2012, दैनिक समाचार पत्र स्वदेश भोपाल 2 सितम्बर 2012 को हुआ है. जिनका जो नंबर 19289/12 है. उक्त प्रकाशन में खसरा क्रमांक 1454, 1455 के स्थान पर 1554, 1555 प्रकाशित हो गया है, अतः निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे:—

संशोधित उद्घोषणा

ग्राम—वर्धा, तहसील हटा, जिला दमोह

पूर्व में प्रकाशित खसरा नंबर	संशोधित प्रविष्टि खसरा नंबर
(1)	(2)
1554	1454
1555	1455

शेष प्रविष्टियां यथावत् रहेगीं.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—वर्धा जैतपुर मार्ग के वरैया नाला पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण के अर्जन में आने वाली भूमि का निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखंड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 19 मार्च 2013

क्र. 291-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—बड़वाह
(ग) ग्राम—गोराड़िया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.445 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
174/3	0.154
183/1	0.142
218	0.053
221/3	0.053
223/1	0.032
223/4	0.081
226	0.028
228	0.134
229	0.113
233/1	0.070
233/2	0.084
235/9	0.109
237/5	0.069
239	0.065
240/1	0.032
241/1	0.105
244/3	0.020
244/4	0.069
244/5	0.032
योग. .	1.445

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हीरापुर-चितावद मार्ग के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

खरगोन, दिनांक 21 मार्च 2013

क्र. 310-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—भीकनगांव
(ग) ग्राम—बिरूल
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.820 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
193/1/1	0.243
193/2/1	0.577
योग. .	0.820

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—मालखेड़ा तालाब योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 312-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—महेश्वर
(ग) ग्राम—बड़वेल
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.370 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
201/2	0.200
204/1/1	0.320
204/1/2	0.850
योग. .	1.370

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 21 मार्च 2013

क्र. भू-अर्जन-15(अ-82) 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की

धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—मण्डला

(ख) तहसील—बिछिया

(ग) ग्राम—बिरसा, प.ह.नं. 28

(घ) लगभग क्षेत्रफल—200.81 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
2	0.20
3	0.51
4	0.33
8	0.36
9/1	0.22
9/2	0.15
9/3	0.09
10/1	0.60
10/2	0.66
10/3	0.25
11/1	0.52
11/2	0.52
11/3	1.05
12/1	1.69
85/1	0.45
12/2	1.40
12/3	1.70
13	0.30
14	0.44
15	1.33
16	0.01
17	0.01
57	0.37
75	1.08
21	0.25
22	0.30
23	0.62
24	0.73
25	1.60
26	0.18
28	0.38
29	0.17
33/1	0.91
33/2	0.40
40	1.54
41	0.15
34	0.27
35	0.52
36	0.52
37	0.70
38	0.83
39	1.23
42	0.38
43	0.29
44	0.04
45	0.38
46	0.24
47	0.91
48	1.00
49	0.52
54	0.31
58	0.95
60	0.36
65	0.16
66	1.41
67	0.58
68/1	0.30
68/2	0.30
68/3	0.20
72	0.98
73	0.07
76	0.58
77	0.59
78	1.95
85/2	0.45
86	0.28
87	0.47
90	0.71
92	0.63
149/1	0.40
149/2	0.40
204/1	0.12
204/2	0.14
204/3	0.28
204/4	0.14

(1)	(2)	(1)	(2)
209/1	0.10	130	0.93
209/2	0.10	131	1.10
209/3	0.13	225	0.12
93	1.16	132	1.59
96	0.87	133	1.02
97	1.14	171	0.07
101	1.55	169	0.32
104	1.27	134	0.93
111	3.28	166	0.71
114	0.79	248	0.30
116/1	0.52	135	0.66
116/2	0.24	136	0.58
116/3	0.25	247	1.48
116/4	0.13	137	1.50
116/5	0.38	141/1	0.12
7	0.42	141/2	0.40
1	2.46	172/2	0.04
216	0.11	148	1.22
80/456	0.58	150	0.08
34/457	0.26	153	1.76
117	0.82	156	0.90
177/2	0.40	389	0.17
118	0.48	152/1	2.00
119	0.22	154/2	0.35
120	0.40	155	1.19
121/1	1.24	157	0.39
121/2		395	0.30
121/3		408	0.50
152/2	1.00	410	0.76
154/1	1.00	158	0.24
122	0.76	159	1.32
123/1	0.88	249	0.30
231	0.01	160	0.25
123/2	0.94	161	0.78
124	0.41	162	0.62
185/2	0.12	163	0.75
125	0.38	164	0.61
128	0.67	168	0.06
126	0.22	396	0.10
394	1.02	165/1	0.01
398	0.52	390	0.06
127	0.48	165/2	0.50
129	0.63	167	0.76
195	0.40	170/1	0.64

(1)	(2)
192	0.31
170/2	0.16
172/1	0.10
173	0.64
176	1.47
174/1	0.38
174/2	0.38
177/1	1.68
177/3	0.17
179	0.42
185/1	0.08
185/3	0.66
229	0.17
190/1	0.65
190/2	0.33
191	7.80
193	0.51
194	1.24
200	0.56
196	0.37
197/2	0.16
202/1	0.20
197/1	0.36
199	0.26
397	1.62
208	0.13
202/2	0.20
205	0.67
202/3	0.15
211/1	0.57
211/2	0.95
212	0.52
214	2.55
217/1	0.19
217/2	
217/3	
217/4	
217/5	
217/6	
218/1	0.41
218/2	
226	1.48
227	0.46
300	0.20

(1)	(2)
228/1	0.20
228/3	0.83
253	0.28
228/2	0.80
228/4	0.30
228/5	0.05
230	0.14
232/1	0.30
232/2	
235	0.16
250/1	
250/2	0.80
250/3	
250/4	
251/1	0.75
251/2	0.34
252/2	0.40
252/1	0.57
254	1.20
256	2.07
283	1.27
257/2	0.07
267	0.28
269	0.10
258	0.15
259	0.48
260	0.71
261	0.44
262	1.63
263	0.29
265	0.21
266	1.10
268	0.12
271/1	1.29
271/2	
273	0.01
284	0.45
274	1.16
276	1.16
275	0.38
277	2.04
282	0.95
366	0.02
302	1.54

(1)	(2)
303	0.18
304	0.32
305	0.61
311	0.14
312/1	3.22
312/2	
312/3	
312/4	
386	0.05
387	
391	0.05
414	0.24
392	0.06
393/1	3.26
392/2	
404/1	1.03
404/2	
405	1.00
406	0.21
411	0.54
412	0.42
427	0.22
413	0.41
425	1.57
415	0.88
416/1	0.66
418	0.27
448	2.67
416/2	0.80
416/3	0.52
416/4	1.00
416/5	1.95
416/6	0.66
434	0.34
417	0.74
419	1.05
423	0.80
429/1	0.30
429/2	0.80
432/1	0.14
432/2	0.03
432/3	0.12
432/4	0.14
432/5	0.14
432/6	0.18
432/7	0.05
435	2.47
436	1.53
450	0.14
437	0.98
446	0.22
442	0.86
443	0.08
444	0.24
445	0.18
450/459	0.14
447	0.05
451	0.03
449	1.63
452	4.26
453/1	3.11
453/2	0.30
453/3	0.40
272/1	2.93
272/2	
272/3	
272/4	
272/5	
272/6	
272/7	
272/8	
272/9	
272/10	
272/11	
272/12	
272/13	
योग. .	200.81

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—हालोन सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-15(अ-82) 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2)

में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :--

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—मण्डला

(ख) तहसील—बिछिया

(ग) ग्राम—करंजिया, प.ह.नं. 28

(घ) लगभग क्षेत्रफल—48.58 हे.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
192	1.02
193/1	1.60
193/2	0.40
194	0.66
195	0.35
198	0.59
196/1	0.17
196/2	0.33
196/3	0.25
196/4	0.35
197	1.28
240	0.23
199	2.26
200	0.05
202	0.14
203	0.12
219/1	0.64
219/2	0.06
263/2	0.07
205	1.17
221/1	0.39
221/2	0.15
221/3	0.27
221/4	0.08
221/5	0.17
221/6	0.15
221/7	0.07
222	1.65
223	1.54
224	0.78
225	0.96
226	0.16
230	1.45
234	0.62
(1)	(2)
235	0.09
237	0.16
254	0.38
227/1	0.10
227/2	0.09
227/3	0.26
227/4	0.23
227/5	0.60
227/6	0.31
227/7	0.52
239	0.11
229/1	0.18
229/2	0.32
231	0.12
232/3	0.19
243/1	0.02
245/1	0.06
247	0.17
248	0.13
249	0.23
250	0.16
257/1	0.07
267/1	0.13
232/1	0.06
232/2	0.16
233/1	0.38
238/1	1.00
233/2	0.37
338/2	0.68
236	0.42
241	1.10
242/2	0.16
242/1	0.04
253	0.03
243/2	0.10
245/2	0.06
251	0.41
257/2	0.18
267/2	0.05
244	0.12
255	0.18
259	0.40
246/1	0.16
246/2	0.18
246/3	0.19
252	0.40
256	0.05
258	0.13

(1)	(2)
269	0.17
265	0.36
268	0.30
263/1	0.41
266	0.17
189	0.18
191	0.07
567/1, 567/2, 567/3, 567/4, 567/5	1.20
568	0.12
569	3.67
570	0.18
573/1	0.37
571	0.30
574	0.28
572	0.19
573/2	0.36
575	0.40
576	1.34
579	2.07
583	0.02
584	0.70
585	1.95
586	1.95
योग. .	48.58

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—हालोन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 22 मार्च 2013

प्र. क्र. 28-अ-82 वर्ष-2011-12-गाडरवारा-पत्र क्र. 22-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—नरसिंहपुर
(ख) तहसील—गाडरवारा
(ग) ग्राम—उलथन
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.012 हेक्टेयर.

ख. नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
10/1ज	0.012
कुल . .	0.012

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—ग्राम पलोहाबड़ा से उल्थन मार्ग निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी गाडरवारा में किया जा सकता हैं.

प्र. क्र. 29-अ-82 वर्ष-2011-12-गाडरवारा-पत्र क्र. 22-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—नरसिंहपुर
(ख) तहसील—गाडरवारा
(ग) ग्राम—बरांझ
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.235 हेक्टेयर.

ख. नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
72/3	0.068
74	0.044
119/2	0.022
121/5	0.052
121/2	0.049
कुल . .	0.235

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—ग्राम बरांझ से खुलरी मार्ग निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी गाडरवारा में किया जा सकता हैं.

प्र. क्र. 30-अ-82 वर्ष-2011-12-गाडरवारा-पत्र क्र. 22-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—नरसिंहपुर
(ख) तहसील—गाडरवारा
(ग) ग्राम—टेकापार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.142 हेक्टेयर.

ख. नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
34/1, 34/2	0.073
35/2	0.045
44/1	0.032
45	0.036
31/1ख	0.045
48	0.038
49/1,2,3	0.041
50/2,3	0.016
51, 52	0.021
93/4	0.021
92/2, 93/2	0.030
92/1, 93/1	0.050
98	0.061
103	0.016
105	0.016
134/1क, 134/2क	0.006
134/1ख, 134/2ख, 135	0.093
134/1ग, 134/2ग	0.028
134/1घ, 134/2घ	0.020
123, 124, 125, 126/2, 133	0.093
23, 24	0.032
25/7	0.024
25/8	0.020
25/3	0.008
28, 29	0.056
31/1ड	0.012
31/1घ	0.036
30	0.045
31/1ग	0.016
32/7	0.044
32/5	0.018
32/1	0.018
32/4	0.032
कुल . .	1.142

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—ग्राम बरांझ से खुलरी मार्ग निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी गाडरवारा में किया जा सकता हैं.

प्र. क्र. 31-अ-82 वर्ष-2011-12-गाडरवारा-पत्र क्र. 22-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—नरसिंहपुर
(ख) तहसील—गाडरवारा
(ग) ग्राम—अजंसरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.994 हेक्टेयर.

ख. नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
154/1	0.030
154/2	0.060
156/1, 156/2	0.030
157/1, 157/2, 157/3	0.060
158	0.024
168/1, 170/2, 172, 173	0.200
168/3क, 168/3ग	0.060
168/4	0.120
182, 183/2ख, 183/2ग	0.060
168/5क	0.030
175/5, 183/6	0.140
183/3ग	0.020
183/3क	0.024
183/3घ	0.030
183/3ख	0.052
183/5क	0.024
171/2	0.030
कुल . .	0.994

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—ग्राम बरांझ से खुलरी मार्ग निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी गाडरवारा में किया जा सकता हैं.

प्र. क्र. 32-अ-82 वर्ष-2011-12-गाडरवारा-पत्र क्र. 22-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—नरसिंहपुर
(ख) तहसील—गाडरवारा
(ग) ग्राम—खुलरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.498 हेक्टेयर.

ख. नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
480/1, 775/1	0.041
480/3, 775/3	0.016
480/6, 775/6, 779/2	0.125
775/9	0.058
780/1,2,3	0.029
774	0.050
772/3	0.012
771/3	0.008
772/1,2	0.021
771/2	0.008
771/1	0.034
491	0.050
492	0.016
493/2, 494/2, 495/2	0.030
कुल . .	0.498

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—ग्राम बरांझ से खुलरी मार्ग निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी गाडरवारा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 33-अ-82 वर्ष-2011-12-गाडरवारा-पत्र क्र. 22-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—नरसिंहपुर
(ख) तहसील—गाडरवारा
(ग) ग्राम—लाखा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.421 हेक्टेयर.

ख. नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
80	0.170
83/1, 83/2, 84	0.052
85/1	0.020
54	0.060
55	0.025
61/1, 3	0.050
61/9	0.009
77/5	0.035
कुल . .	0.421

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—ग्राम लाखा से रहली मार्ग निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी गाडरवारा में किया जा सकता हैं.

प्र. क्र. 34-अ-82 वर्ष-2011-12-गाडरवारा-पत्र क्र. 22-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—नरसिंहपुर
(ख) तहसील—गाडरवारा
(ग) ग्राम—नयागॉव
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.320 हेक्टेयर.

ख. नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
221/1, 221/2	— 0.070

(1)	(2)
222/1	0.080
222/3	0.130
222/2	0.040
कुल . .	0.320

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—ग्राम लाखा से रहली मार्ग निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी गाडरवारा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 35-अ-82 वर्ष-2011-12-गाडरवारा-पत्र क्र. 22-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—नरसिंहपुर
(ख) तहसील—गाडरवारा
(ग) ग्राम—रहली
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.773 हेक्टेयर.

ख. नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
54	0.090
62	0.035
63	0.020
148	—
149	0.004
53/2	0.004
58/1ख	0.045
58/1ग	0.040
60/1, 60/4, 60/5	0.012
60/2	0.014
43/2	0.040
61/1, 61/4	0.050
61/2, 61/3	0.028
48/3	0.045
64	0.006
65	0.003
66	0.006
67	0.014
68/2	0.024
68/3	0.008
51/3	0.070
51/2	0.055
50/1, 51/1	0.100
48/1	0.060
कुल . .	0.773

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—ग्राम लाखा से रहली मार्ग निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी गाडरवारा में किया जा सकता हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 22 मार्च 2013

प्र. क्र. 2-अ-82-वर्ष 2011-2012-भू-अर्जन-2972.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—शाहपुर
(ग) नगर/ग्राम—माली सिलपटी
(घ) पटवारी हल्का नम्बर—38
(ङ) लगभग क्षेत्रफल—2.439 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1	0.008
6	0.490
9	0.130
10/2	0.110
12/1	0.160
16/2	0.048
31/2	0.065
34	0.310
39	0.100

(1)	(2)
43/1	0.013
50/1	0.036
50/3	0.030
5	0.128
7	0.160
10/1	0.080
10/3	0.130
16/1	0.042
31/1	0.085
33	0.024
35	0.080
40	0.089
43/2	0.007
50/2	0.034
54/1	0.080
योग . .	2.439

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—मोखा रै. जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 3-अ-82-वर्ष 2011-2012-भू-अर्जन-2973.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—शाहपुर
(ग) नगर/ग्राम—गौनापुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.173 हेक्टेयर.

खसरा नंबर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
18/1	0.092
18/2	0.101
19	0.030
27/1	0.150
42	0.079
25/1	0.209
25/2	0.043
44	0.051
23	0.195
34	0.118
106/1	0.058
105	0.047
योग . .	1.173

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—मोखा रै. जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 4-अ-82-वर्ष 2011-2012-भू-अर्जन-2974.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—शाहपुर
(ग) नगर/ग्राम—जामपानी
(घ) पटवारी हल्का नम्बर—37
(ङ) लगभग क्षेत्रफल—2.206 हेक्टेयर.

खसरा नंबर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
59/2	0.089
63/1	0.074
63/3	0.073
66	0.071
71	0.090
69/1	0.048

(1)	(2)
69/2	0.042
130/1	0.066
131	0.042
132	0.039
136	0.039
137	0.045
139	0.253
160	0.141
182/2	0.090
189	0.077
190	0.064
191	0.058
192	0.058
187	0.096
193	0.055
195	0.051
197/1	0.093
197/2	0.103
197/3	0.090
209	0.259
योग . .	2.206

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—मोखा रै. जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 5-अ-82-वर्ष 2011-2012-भू-अर्जन-2975.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—शाहपुर
(ग) नगर/ग्राम—सिलपटी
(घ) पटवारी हल्का नम्बर—39
(ङ) लगभग क्षेत्रफल—1.085 हेक्टेयर.

खसरा नंबर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
201/1	0.101
201/4	0.023
202/1	0.021
211/1	0.048
211/2	0.082
211/3	0.156
211/4	0.108
454	0.153
457	0.393
योग . .	1.085

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—मोखा रै. जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 6-अ-82-वर्ष 2011-2012-भू-अर्जन-2976.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—शाहपुर
(ग) नगर/ग्राम—मोखामाल
(घ) पटवारी हल्का नम्बर—36
(ङ) लगभग क्षेत्रफल—1.301 हेक्टेयर.

खसरा नंबर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
186	0.140
187/1	0.100
187/2	0.092

(1)	(2)
189	0.105
190	0.160
192	0.120
193	0.080
195	0.076
197/1	0.046
197/2	0.062
197/3	0.240
199/2	0.080
योग . .	1.301

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—मोखा रै. जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 7-अ-82-वर्ष 2011-2012-भू-अर्जन-2977.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—शाहपुर
(ग) नगर/ग्राम—हरदू
(घ) पटवारी हल्का नम्बर—40
(ङ) लगभग क्षेत्रफल—61.428 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
91/1	0.070
91/2	0.218
92/1	0.480
116	0.288
113	0.192
112	0.176
111/1	0.290
111/2	0.024
110	0.182
109	0.029
108	0.010
118/2	0.188
118/3	0.025
63	0.240
11/1	4.384
11/2	1.416
11/3	0.606
11/4	0.405
11/5	2.023
9	0.559
8/1	0.485
8/2	0.484
8/3	0.484
7/1	0.755
7/2	0.445
6	1.085
2/1	1.288
2/2	0.015
2/3	0.025
2/4	2.023
18	1.983
19/2	0.838
20/1	1.109
20/2	0.665
21	0.995
22/1	0.506
22/2	0.505
17	1.011
16/1	0.931
16/2	1.012
16/3	0.364
15	1.486
14	0.534
13	0.737
23	0.882
24	1.197
25	1.821
26	2.104
27	0.316
28	0.276
31	0.111
32	0.255
34/1	0.500
34/2	0.069

(1)	(2)
37	0.745
38	0.785
39	0.814
40	0.339
41	0.372
42	0.254
75	0.188
76	0.453
77/1	0.290
77/2	0.700
78	0.370
79/1	0.435
79/2	0.435
80	1.222
81	0.737
82	0.789
83	0.850
84	0.547
85	0.717
88	0.700
90	1.234
91/1	0.476
91/2	0.328
92/1	0.120
92/2	0.307
93	1.554
94	0.450
95/1	0.761
95/2	0.380
96	1.133
97	0.858
98/1	0.755
98/3	0.604
99	0.313
74/1	0.050
74/2	0.030
100	0.384
101	0.010
19/1	0.838
योग . .	61.428

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—मोखा रै. जलाशय एवं स्पील चेनल निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 8-अ-82-वर्ष 2011-2012-भू-अर्जन-2978.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—शाहपुर
(ग) नगर/ग्राम—मौखा रैयत
(घ) पटवारी हल्का नम्बर—36
(ङ) लगभग क्षेत्रफल—18.853 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
104/1	0.435
104/3	0.212
104/4	0.068
84/1	0.182
84/3	0.010
90/2	0.128
91/1	0.340
91/2	0.310
91/3	0.037
91/4	0.177
93/1	0.110
93/2	0.567

(1)	(2)
93/3	0.102
94	0.691
98	0.176
102/2	0.301
102/1	0.230
19	0.040
104/1	0.735
91/1	0.754
91/2	0.547
91/3	0.070
91/4	0.228
93/1	0.700
93/3	1.806
93/4	1.012
93/5	0.405
100	2.359
102/1	0.188
103/1	0.953
103/2	0.952
103/3	0.952
82	0.089
94	0.192
95	0.182
96/1	0.100
89/3	0.300
89/4	0.073
3/1	0.056
3/3	0.089
3/4	0.110
5/1	0.182
5/3	0.072
18	0.032
4	0.070
20	0.190
29	0.240
28/2	0.024
28/3	0.040
28/5	0.028
32	0.192
35/1	0.072
35/2	0.063
35/3	0.020
35/4	0.108
34	0.060
36/1	0.048
39/2	0.062
37/2	0.105
39/4	0.059
36/3	0.014
39/5	0.060
45/4	0.086
45/5	0.006
40	0.052
योग . .	18.853

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—मोखा रै. जलाशय एवं स्पील चेनल निर्माण हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 9-अ-82-वर्ष 2011-2012-भू-अर्जन-2971.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः. भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल

(ख) तहसील—शाहपुर

(ग) नगर/ग्राम—पौसेरा

(घ) पटवारी हल्का नम्बर—40

(ङ) लगभग क्षेत्रफल—2.925 हेक्टेयर.

खसरा नंबर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
4/1	0.087
4/5	0.036
3/1	0.067
7	0.102
8	0.060
9/1	0.054
23/1	0.034
23/5	0.054
23/6	0.028
23/7	0.048
23/8	0.031
30/1, 30/2	0.088
26/2	0.051
29	0.160
33	0.036
34	0.036
31/1	0.080
31/2	0.084
64/2	0.044
65/1	0.035
65/2	0.022
65/3	0.022
73	0.079
77	0.052
78/1	0.055
78/2	0.055
80	0.124
76	0.056
89	0.050
91	0.056
98	0.088
100/1	0.061
100/2	0.050
100/3	0.048
100/4	0.026
100/5	0.049
104	0.036
105/1	0.061
105/2	0.051
135/1	0.087
135/3	0.062
131/1	0.087
131/2	0.017
131/3	0.017
131/5	0.047
131/4	0.017
132/1	0.052
133/1	0.033
83/1	0.195
25/1	0.055
योग . .	2.925

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—मोखा रै. जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश प्रसाद मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

Jabalpur, the 8th March 2013

No. 309-Confdl. 2013-II-3-1-2013.—Judicial Officers' Training & Research Institute, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur is conducting Induction Course (Final Phase) for the newly appointed Civil Judges of Class II from 2012 Batch from 1st April 2013 to 27th April 2013 in the Institute. Trainee Judges, whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid course.

Conditions for the course,—

1. Barring exceptional circumstances, the participants nominated for the course shall not pray for adjustment.

2. The participants shall report by 9:30 a. m. on 1st April 2013 in the Lecture Room of JOTRI at Jabalpur.

3. They shall appear for the course in prescribed uniform (i.e. Black coat, white shirt, grey trousers and black tie in the case of men and white saree and blouse with black coat in the case of ladies) during entire duration of the course.

4. The participants shall bring with them one copy each of the following, if delivered/prepared during their Third Phase Practical Exercise:—

   (i) Judgments in Civil and Criminal cases (preferably, contested);

   (ii) Issues;

   (iii) Charge;

   (iv) Examination of accused;

   (v) The notes prepared by them during Third Phase Practical Exercise; and

   (vi) Notes prepared by them during programmes under the aegis of District Legal Services Authority, attended/ conducted by them.

5. The participants shall bring with them Laptop Computers with peripherals and software CDs, if provided by the High court.

6. The participants may send legal problems which they want to the addressed during the course to the Institute by fax (No. 0761-2628679) sufficiently in advance.

7. T.A. & D.A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules.

8. The Institute shall endeavour to make best possible arrangements for reception, lodging, boarding and entertainment of the participants in the Guest House of the Institute. To this end, two Reception Counters for participants shall be set up between 5.00 a.m. and 10.00 a.m. on first day of the course at Main Railway Station, Jabalpur. One such Counter shall be set up near main exit gate of Platform No. 1 and the other near main exit gate of Platform No. 4 participants are requested to report to these counters on their arrival. The Institute shall make arrangement for their conveyance from the Railway Station to Institute. The participants arriving a day earlier or at hours other than those mentioned above or by a different mode of conveyance, may inform the Institute to Shri Gyan Prakash Tekam, A. G. III on Telephone No. 0761-2628679 or to Shri Pramod Kushwaha, Care Taker on Mobile No. 09713717147 or to Shri Pramod Kumar Chaturvedi, A.G. II on Mobile No. 08878747939 at least a day in advance, so that proper arrangement for their reception may be made. It may however be noted that it may not be possible for the Institute to make arrangement for carriage of participant's luggage to the parked vehicles.

9. The Guest House of the Institute is located on second and third floors of the JOTRI building. At present the lift is not functional. The participants are, with prior intimation to the Institute, free to stay at the accommodation of their choice. In such a case the participants shall be entitled to T.A. & D.A. as per rules. However, it would not be possible for the Institute to make arrangement for pick up from and drop back to such place.

10. The participants shall be provided with tea, breakfast, lunch and dinner during their period of stay for the course, free of charge.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
SUBHASH KAKADE, Registrar General.

जबलपुर, दिनांक 6 मार्च 2013

क्र. 279-गोपनीय-2013-दो-2-1-2013 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर, स्तम्भ (4) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ (5) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं :—

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री शम्भू दयाल दुबे, जिला न्यायाधीश (निरीक्षण एवं सतर्कता), इंदौर वृत्त, इंदौर.	इंदौर	जबलपुर	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर की हैसियत से.

नोट :—श्री शम्भू दयाल दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर के पद पर रहते हुये निरीक्षण एवं सतर्कता प्रकोष्ठ, उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर के साथ सम्बद्ध रहेंगे.

जबलपुर, दिनांक 11 मार्च 2013

क्र. 311-गोपनीय-2013-दो-2-1-2013 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर, स्तम्भ (4) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ (5) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं :—

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री अखिल कुमार श्रीवास्तव जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर.	नरसिंहपुर	जबलपुर	प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (आई.एल.आर. एवं परीक्षा), उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर की हैसियत से, श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव के स्थान पर.
2.	श्री अशोक कुमार जोशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर.	अलीराजपुर	इंदौर	जिला न्यायाधीश (निरीक्षण एवं सतर्कता) इंदौर वृत्त, इंदौर की हैसियत से, श्री शम्भूदयाल दुबे के स्थान पर.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 12 मार्च 2013

क्र. C-2170-दो-2-13-2008.—श्री मनोहर ममतानी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को दिनांक 11 से 23 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 से 10 मार्च 2013 तक के एवं पश्चात् में दिनांक 24 मार्च 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री मनोहर ममतानी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मनोहर ममतानी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-2172-दो-2-18-ए-2009.—श्री एस. के. जैन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को दिनांक 28 से 29 दिसम्बर 2012 तक दो दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 30 दिसम्बर 2012 से 3 जनवरी 2013 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. जैन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-2174-दो-2-19-ए-2009.—सुश्री भारती बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को दिनांक 27 से 28 दिसम्बर 2012 तक दो दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 29 दिसम्बर 2012 से 2 जनवरी 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर सुश्री भारती बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री भारती बघेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C-2176-दो-2-50-2010.—श्री योगेश कुमार सोनगरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को दिनांक 29 दिसम्बर 2012 से 1 जनवरी 2013 तक चार दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 1 जनवरी 2013 का एक दिन का अर्जित अवकाश उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है.

क्र. C-2180-दो-2-11-2011.—श्री श्याम कुमार मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को दिनांक 16 से 17 नवम्बर 2012 तक दो दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 11 से 15 दिसम्बर 2012 तक पांच दिन का अर्द्धवेतन अवकाश, अवकाश की पात्रता एवं नियमानुसार स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री श्याम कुमार मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्यामकुमार मण्डलोई, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-2182-दो-2-49-2007.—श्री जी. के. शर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को दिनांक 1 से 10 जनवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 10 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री जी. के. शर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उस दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. के. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-2184-दो-2-53-2009.—श्री एम. पी. एस. अरोरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 9 जनवरी 2013 का एक दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एम.पी.एस.अरोरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम.पी.एस. अरोरा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 13 मार्च 2013

क्र. C-2240-दो-2-109-2006.—श्री पी.एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को दिनांक 28 से 29 दिसम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 दिसम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री पी. एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को शाजापुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. एस. पाटीदार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-2245-दो-2-32-2010.—श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को दिनांक 4 से 10 जनवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके सात दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कनकलता सोनकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती.

क्र. C-2247-दो-2-82-2006.—श्री मुकेश सिंह, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 7 से 8 जनवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री मुकेश सिंह, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मुकेश सिंह उपरोक्तानुसार, अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-2249-दो-2-53-2009.—श्री एम.पी.एस. अरोरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 14 से 16 जनवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 से 13 जनवरी 2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एम.पी.एस. अरोरा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम.पी.एस. अरोरा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-2251-दो-2-3-2008.—श्री हरिश्चन्द्र शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 27 से 31 दिसम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री हरिश्चन्द्र शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हरिश्चन्द्र शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-2253-दो-2-5-2006.—श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 21 से 22 दिसम्बर 2012 तक दो दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 26 से 29 दिसम्बर 2012 तक चार दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 30 से 31 दिसम्बर 2012 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती जयश्री वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती.

जबलपुर, दिनांक 14 मार्च, 2013

क्र. D-1237-दो-2-34-2010.—श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 15 से 17 जनवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में 12 से 14 जनवरी 2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-1239-दो-2-20-2011.—श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 24 दिसम्बर 2012 से 09 जनवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सत्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-2288-दो-2-18-2009.—श्री एस. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को दिनांक 21, 22 दिसम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 दिसम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-2302-दो-2-37-2010.—श्री जसवन्त सिंह क्षत्रिय, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 4 से दिनांक 8 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 9 से 10 फरवरी 2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जसवन्त सिंह क्षत्रिय, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जसवन्त क्षत्रिय, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-2304-दो-2-82-2006.—श्री मुकेश सिंह, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 7 से दिनांक 8 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री मुकेश सिंह, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मुकेश सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-2306-दो-2-47-2010.—श्री आर. एन. पटेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को दिनांक 28 फरवरी से 2 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. पटेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. पटेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-2308-दो-2-34-2010.—श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 1 से 5 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-2310-दो-2-51-2011.—श्री पी. के. श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को दिनांक 22 से 26 फरवरी 2013 तक पांच दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 22 फरवरी 2013 का एक दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है.

क्र. C-2312-दो-2-30-2012.—श्री पी. एस. कुशवाह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शहडोल को दिनांक 21 से 24 जनवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25,26 एवं 27 जनवरी 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री पी. एस. कुशवाह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. एस. कुशवाह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 15 मार्च 2013

क्र. C-2314-दो-3-47-2003.—श्री शिवनारायण खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को दिनांक 15 से 19 जनवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 जनवरी 2013 से 14 जनवरी 2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री शिवनारायण खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिवनारायण खरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-2318-दो-2-41-2000.—श्री ए. के. श्रीवास्तव जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को दिनांक 11 से 16 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 से 10 फरवरी 2013 तक के तथा पश्चात् में दिनांक 17 फरवरी 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. श्रीवास्तव, जिला एवं न्यायाधीश, नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-2327-दो-2-38-2010.—श्री राजीव दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को दिनांक 1 से 6 अप्रैल 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजीव दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-2329-दो-2-36-2008.—श्री आर. के. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रीवा को दिनांक 21 से 24 जनवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 से 27 जनवरी 2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-2340-दो-2-45-2011.—श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 27 से 29 दिसम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 दिसम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मीना भट्ट उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती.

क्र. C-2342-दो-2-5-2006.—श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 30 जनवरी से 4 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती जयश्री वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C-2344-दो-3-93-86.—श्री एच.एन. बाजपेयी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को दिनांक 15 से 19 जनवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20-1-2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एच.एन. बाजपेयी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच.एन. बाजपेयी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-2346-दो-3-226-86.—डॉ. मुहम्मद शमीम, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 11 से 20 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 10 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर डॉ. मुहम्मद शमीम, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. मुहम्मद शमीम, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-2348-दो-3-21-87.—श्री आर. के. जोशी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 28 जनवरी 2013 से 2 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25, 26 एवं 27 जनवरी 2013 के एवं पश्चात् में दिनांक 3 फरवरी 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. जोशी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. जोशी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-2350-दो-2-28-2009.—श्री ए. के. जोशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 16 से 21 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. जोशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. जोशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-2355-दो-3-34-99.—श्री दिनेश कुमार नायक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को दिनांक 12 से 14 फरवरी 2013 तक

दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश कुमार नायक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश कुमार नायक उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-2357-दो-2-43-2011.—श्री राजेन्द्र महाजन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को दिनांक 28 से 30 जनवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 जनवरी 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र महाजन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र महाजन उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-1259-दो-2-53-2007.—श्री आर. के. गोस्वामी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 11 से 16 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 से 10 फरवरी 2013 तक के तथा पश्चात में दिनांक 17 फरवरी 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. गोस्वामी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. गोस्वामी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर दिनांक 19 मार्च 2013

क्र. C-2437-दो-2-5-2011.—श्री पी. के. श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को दिनांक 22 से 26 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री पी. के. श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. के. श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-2439-दो-3-47-2003.—श्री शिव नारायण खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को दिनांक 26 फरवरी 2013 से 2 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 3 मार्च 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री शिव नारायण खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिव नारायण खरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-2441-दो-2-45-2011.—श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 31 जनवरी 2013 से 2 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 3 फरवरी 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मीना भट्ट, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. D-1373-दो-2-25-2012.—श्री के. के. त्रिपाठी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को दिनांक 11 से 13 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 एवं 10 फरवरी 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री के. के. त्रिपाठी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. के. त्रिपाठी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 5 मार्च 2013

क्र. C-1977-दो-3-10-2012.—श्री एन. के. जैन, ओ.एस.डी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 18 से 21 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एन. के. जैन, ओ.एस.डी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ.एस.डी. के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-1979-दो-2-57-12.—श्री यू. एस. दुबे, डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक.-1), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 25 फरवरी 2013 से 2 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 06 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री यू. एस. दुबे, डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक.-1) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री यू. एस. दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक.-1), के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 6 मार्च 2013

क्र. C-2033-दो-2-34-2012.—श्री आर. सी. श्रीवास्तव, ओ. एस. डी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 27 फरवरी 2013 से 2 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 3 मार्च 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. सी. श्रीवास्तव, ओ. एस. डी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. सी. श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ. एस. डी. के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 12 मार्च 2013

क्र. C-2178-दो-2-34-2012.—श्री आर. सी. श्रीवास्तव, ओ. एस. डी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 27 फरवरी 2013 से 2 मार्च 2013 तक चार दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 3 से 4 मार्च 2013 तक दो दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. सी. श्रीवास्तव, ओ. एस. डी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. सी. श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ. एस. डी. के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 13 मार्च 2013

क्र. C-2242-दो-2-10-2006.—श्री बी. एस. परमार, जिला न्यायाधीश (सतर्कता एवं निरीक्षण), ग्वालियर को दिनांक 18 से 22 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री बी. एस. परमार, जिला न्यायाधीश (सतर्कता एवं निरीक्षण), ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. एस. परमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला न्यायाधीश (सतर्कता एवं निरीक्षण) के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 15 मार्च 2013

क्र. D-1261-दो-2-37-2011.—श्री सी. व्ही. सिरपुरकर, डायरेक्टर, जे.ओ.टी.आर.आई., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 13 से 22 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री सी. व्ही. सिरपुरकर, डायरेक्टर, जे.ओ.टी.आर.आई., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सी. व्ही. सिरपुरकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डायरेक्टर के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 7 मार्च 2013

क्र. ए-847-तीन-6-2-2012.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 260 (1) (ग) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्नलिखित सारणी के स्तंभ क्रमांक (2) में वर्णित न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, जिनकी पदस्थापना का स्थान स्तंभ क्रमांक (3) में दर्शित है, को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित सभी अपराधों का संक्षेप्त: विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है:—

सारणी	न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	पदस्थापना का स्थान	राजस्व जिला
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री भूपेन्द्र नकवाल, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, मंदसौर.	मंदसौर	मंदसौर
2	श्री मनीष भट्ट, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, मंदसौर.	मंदसौर	मंदसौर
3	श्री महेश कुमार माली, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, मंदसौर.	मंदसौर	मंदसौर
4	श्री सुभाष सुनहरे, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, मंदसौर.	मंदसौर	मंदसौर
5	श्री सज्जन सिंह सिसोदिया, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, मंदसौर.	मंदसौर	मंदसौर
6	श्री राजेन्द्र देवड़ा, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, सीतामउ मंदसौर.	सीतामउ	मंदसौर
7	कु. सीता कनोजे, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, गरोठ, मंदसौर.	गरोठ	मंदसौर
8	श्री नीलेश यादव, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, गरोठ, मंदसौर.	गरोठ	मंदसौर
9	श्री सचिन ज्योतिषी, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, सिवनी.	सिवनी	सिवनी
10	श्री अभिषेक सोनी, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, सिवनी.	सिवनी	सिवनी
11	श्री सूर्य प्रकाश शर्मा, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, बुरहानपुर.	बुरहानपुर	बुरहानपुर
12	श्री महेन्द्र मांगोदिया, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, बुरहानपुर.	बुरहानपुर	बुरहानपुर
13	श्री रवीन्द्र कुमार शर्मा, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, पन्ना.	पन्ना	पन्ना
14	श्री पंकज जायसवाल, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, पन्ना.	पन्ना	पन्ना

(1)	(2)	(3)	(4)
15	श्री हेमराज सनोडिया, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, नैनपुर, मंडला.	नैनपुर	मंडला
16	श्री महेन्द्र कुमार उईके, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, मंडला.	मंडला	मंडला
17	श्री अजीत कुमार तिर्की, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, ब्यावरा, राजगढ़.	ब्यावरा	राजगढ़
18	श्री तरूण सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, टीकमगढ़.	टीकमगढ़	टीकमगढ़
19	श्री मानवेन्द्र प्रताप सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, टीकमगढ़.	टीकमगढ़	टीकमगढ़
20	श्री गौरव प्रज्ञानन, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, टीकमगढ़.	टीकमगढ़	टीकमगढ़
21	श्री विपिन सिंह भदोरिया, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, टीकमगढ़.	टीकमगढ़	टीकमगढ़
22	श्री विवेक कुमार पाठक, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, टीकमगढ़.	टीकमगढ़	टीकमगढ़
23	श्री उत्सव चतुर्वेदी, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, ओरछा, टीकमगढ़.	ओरछा	टीकमगढ़
24	श्रीमती बरखा दिनकर, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, निवाड़ी, टीकमगढ़.	निवाड़ी	टीकमगढ़
25	श्री अनिल चौहान, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, पू. नि. खंडवा.	खंडवा	खंडवा
26	श्री नीलेश कुमार जिरेती, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, पू. नि. खंडवा.	खंडवा	खंडवा
27	श्री दिनेश देवड़ा, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, पू. नि. खंडवा.	खंडवा	खंडवा
28	श्री लक्ष्मण डोडवे, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, पू. नि. खंडवा.	खंडवा	खंडवा

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
अभय कुमार, रजिस्ट्रार (डी.ई.).

निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2013

फा.क्र. 2-वि.निर्वा.-2009-4-128-**शुद्धि-पत्र.**—मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 9, दिनांक 01 मार्च 2013 में प्रकाशित भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना का क्रमांक "82-MP-LA-(2/2009)-2012 दिनांक 05 फरवरी 2013" के स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जाये :—

"82/MP-LA/(2/2009)/2012 दिनांक 31 मई, 2012"

एस. एस. बंसल, अपर सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001
New Delhi, Dated 31st May 2012—
10 Jyaistha, 1934 (Saka)

NOTIFICATION

No. 82/MP-LA/(2/2009)/2012.—In pursuance of sub-section of 2 (b) of Section 116 C of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby publishes the judgement/order of the Supreme Court of India in Civil Appeal No.-6336 of 2010, dated 22nd February 2012 against the judgement/order of the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur Bench dated 10th May 2010 in Election Petition No.2 of 2009 (Chandbhan Bhaiya, Appellant Vs. Shri Jayant Kumar and Others Respondents).

By Order,
Sd./-
(BERNARD JOHN)
Secretary,
Election Commission of India.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इन्दौर, दिनांक 30 मार्च 2013

क्र. 290-भू-अर्जन-हातोद-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—इन्दौर
(ख) तहसील—हातोद
(ग) नगर/ग्राम—पालाखेडी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—152.980 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
205/2 पैकी	0.130
211 पैकी	0.100
215 पैकी	0.648
232/2 पैकी	1.085
233/1/2/2/1	0.253
233/1/2/2/2	0.253
233/2 पैकी	1.669
234/2 पैकी	0.506
234/3	2.529
235/1	1.894
235/2	1.890
236/1 पैकी	1.274
236/2 पैकी	2.193
237/1	0.162
237/2	0.081
237/3	0.081
237/4	0.081
237/5	0.81
237/6	0.073
237/7	0.445
237/8	0.445
237/9	0.445
237/10	0.332
238/2 पैकी	0.345
238/3 पैकी	0.035
246/1 पैकी	0.332
246/2	2.704
247/2	4.300
205/1	0.086
247/3/1	0.677
247/3/2	0.253
247/4	0.587
247/5/1	0.338
247/5/2	0.245
247/6 पैकी	0.701
247/7	0.930
248/1	2.104
245 पैकी	0.130
244/1 पैकी	0.077
248/2	1.538
249/1	0.104
249/2	0.425
250/2 पैकी	0.545
250/1 पैकी	4.018
252/1/1	2.592
252/1/2/1	0.047
252/1/2/2	0.885
252/2	2.529
252/3	1.182
254/1 पैकी	0.607
254/2	0.235
255/1/1/1	0.113
255/1/1/2	0.150
255/1/2/1	0.292
255/1/2/2	0.101
256/2/1	0.276
256/2/2	0.154
256/2/3	0.085
257/1 पैकी	0.724
257/2/1	1.206
257/2/2	1.015
255/2	0.101

(1)	(2)
257/3/1	0.284
257/3/2	0.506
256/1/1	0.012
256/1/2	0.012
258/1/1	1.113
258/1/2	1.113
258/1/3	1.113
258/1/4	1.113
258/2	1.145
258/3	0.292
259/1	0.329
259/2	0.311
260	1.611
261	2.343
262/1	1.117
262/2	1.052
263/1	1.023
263/2/1	0.253
263/2/2	0.253
263/2/3	0.517
264 पैकी	1.385
266/3/2 पैकी	0.713
266/3/3	2.630
267 पैकी	1.909
268 पैकी	0.425
269 पैकी	1.627
270/1	0.200
270/2	0.100
270/3	0.100
270/4	0.200
270/5	0.200
270/6	0.200
270/7	0.200
270/8	0.100
270/9	0.200
270/10	0.123
271/1/1/1	1.138
271/1/1/2	0.370
271/1/1/3	0.370
271/1/2	1.028
247/1/1	2.000
247/1/2	1.265
271/2/1 पैकी	1.942
271/2/2	2.501
271/2/3	0.028
285/1/1	0.698
285/1/2	0.061
285/2/1	0.253
285/2/2 पैकी	0.688
285/3/1	0.253
285/3/2/1	0.127
285/3/2/2	0.127
285/3/2/3	0.253
285/3/2/4	0.253
285/3/2/5 पैकी	0.040
285/5 पैकी	0.352
286/1/1/1/1	0.815
286/1/1/1/2	0.237
286/1/1/2/1	0.093
286/1/1/2/2	0.022
286/1/1/2/3	0.160
286/1/1/3/1	0.106
286/1/1/3/2	0.088
286/1/1/4	0.041
286/1/2	1.955
286/1/3/1/1	0.759
286/1/3/1/2	0.127
286/1/3/1/3	0.094
286/1/3/2 पैकी	0.875
286/1/4 पैकी	0.100
286/2/1/1	0.170
286/2/2/2	0.166
286/2/3/1	0.170
286/2/1/2	0.363
286/2/2/1	0.366
286/2/3/2	0.363
286/2/4/1 पैकी	0.195
286/2/4/2 पैकी	0.018
286/2/5/2 पैकी	0.420
286/3/1	0.235
286/3/2	0.210
286/3/3	0.243

(1)	(2)
286/3/4	0.316
286/3/5/1	0.563
286/3/5/2	0.759
286/3/6	0.304
287/1	0.243
287/2	0.162
287/3	0.016
288/1/1/1/1	0.705
288/1/1/1/2	0.306
288/1/1/2	1.012
288/1/2/1	1.011
288/1/2/2	1.012
288/1/3/1	1.760
288/1/3/2/1	2.226
288/1/3/2/2	0.304
288/2	0.898
289/1	1.854
289/2/1	0.672
289/2/2	0.676
289/3/1	0.253
289/3/2	0.257
290 पैकी	1.304
293/1/1	2.926
293/1/2	0.127
293/1/3	0.253
293/1/4	0.253
293/1/5	0.633
293/2 पैकी	4.069
293/3/1 पैकी	1.525
295	1.781
296/1	0.757
296/2	1.841
297/1/1	0.914
297/1/2	0.308
297/2	0.607
297/3	0.611
298	0.570
299/2 पैकी	0.100
301/1/1 पैकी	1.872
301/1 पैकी	0.539
301/1/2 पैकी	0.190
303/2 पैकी	0.050
305 पैकी	0.850
306/1 पैकी	0.769
306/2	0.809
307/1	0.510
307/2	0.510
308	0.445
307/3	0.243
309/1	0.606
309/2	0.303
309/3	0.758
309/4	0.154
294	3.217
310/1	3.129
310/2	1.263
312	0.158
313	1.392
314/1	0.501
314/2	1.392
314/3	0.502
315/1	0.449
315/2 पैकी	0.587
315/3 पैकी	0.142
315/4 पैकी	0.040
316/1 पैकी	0.162
316/2 पैकी	0.050
251 पैकी	0.120
योग . .	152.980

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—म. प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल परियोजना संभाग, इन्दौर की आवासीय योजना बाबद्.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन शाखा अनुभाग, हातोद, जिला इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.